



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1934 (श0)  
(सं0 पटना 393) पटना, सोमवार, 13 अगस्त 2012

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं

4 जुलाई 2012

पटना नगर निगम ( विज्ञापन एवं सदृश अन्य युक्तियों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा ) विनियम, 2012

सं0 2367/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना नगर निगम एतद् द्वारा विज्ञापन तथा इस तरह की अन्य युक्तियों का पटना नगर निगम के क्षेत्राधिकार में प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

#### भाग-1 ( पार्ट-I )

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना I- (1) यह विनियम 'पटना नगर निगम ( विज्ञापन एवं सदृश युक्तियों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संबंधी अनुज्ञा ) विनियम, 2012' कहा जा सकेगा ।

(2) यह सरकार के अनुमोदन के पश्चात् राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभावी माना जायेगा।

(3) यह विनियम पटना नगर निगम के क्षेत्राधिकार भीतर सभी स्थान एवं क्षेत्रों में विज्ञापन तथा विज्ञापन के सदृश अन्य युक्तियों के प्रदर्शन की अनुज्ञा से संबंधी सभी मामलों में अनुप्रयोज्य (लागू) होगा।

2. परिभाषाएँ I- इस विनियम में जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत है ऐसी सभी युक्तियाँ अथवा प्रतिरूप समाहित है जो किसी भी तरह की उद्घोषणा अथवा शब्द, अक्षर, निदर्श (मॉडल), संकेत द्वारा निदर्श, जिन्हें पोस्टर, बैनर, अस्थायी मेहराब, प्रकाश स्तम्भ, नामपट्ट या निदर्शन पर बैलून इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय।

(ii) 'एजेन्सी' से अभिप्रेत है कोई भी आवेदक है जो एक व्यक्ति, पंजीकृत दातृ (चेरिटेबल) संस्था, प्रतिष्ठान (फर्म) संस्था अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 में समाविष्ट कोई कम्पनी हो सकती है।

(iii) 'बैनर' से अभिप्रेत है कोई कपड़ा अथवा अन्य कोई सामग्री, जिसमें उद्घोषणा अथवा सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शनार्थ कोई लिखित सामग्री हो।

- (iv) 'भवन लपेटन विज्ञापन' ( 'बिल्डिंग रैप विज्ञापन' ) से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन, जो विज्ञापन मकान के अगले भाग अथवा सम्पूर्ण निर्माणाधीन या मरम्मतधीन मकान के सम्पूर्ण ढांचा में शीर्ष अग्रभाग अथवा खिड़की में साट कर या स्थिर कर प्रदर्शित किया जाय।
- (v) 'मकानों के उपर खड़ा करने के लिए प्रयोग होने वाले खम्भे इत्यादि के प्रयोग के बिना भवन लपेटन इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन' से अभिप्रेत है, ऐसे मकान के अग्रभाग में विज्ञापन जो किसी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व का न हो तथा जिसमें सांख्यिक अवलोकनार्थ चीजों को प्रयोग हो, और जिसको रात में प्रदीपन किया जा सके और जो सभी एक साथ एक समय में जल सकती है या क्रम से कुछ पलों के अंतराल पर जल सकती है तथा जिसमें एक या एक से अधिक विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
- (vi) 'बस शेल्टर विज्ञापन' से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन जो बस प्रतीक्षालय ढांचा पर दर्शाया जाय, और इसके अंतर्गत ट्रान्सलेट या इस प्रकार के अन्य प्रदर्शन आते हैं।
- (vii) 'आयुक्त' से अभिप्रेत है पटना नगर निगम के आयुक्त तथा इसमें नगर निगम के अपर आयुक्त भी शामिल हैं।
- (viii) 'सक्षम पदाधिकारी' से अभिप्रेत है आयुक्त अथवा नगर निगम का कोई अन्य पदाधिकारी, जो अपर आयुक्त के नीचे के पद का नहीं हो तथा जिसे आयुक्त के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया हो।
- (ix) 'कॉरपोरेशन' से अभिप्रेत यहा 'पटना नगर निगम' है।
- (x) 'निर्देशन पट्ट' से अभिप्रेत है ऐसा पट्ट (बोर्ड) जो निजी तथा वाणिज्यिक संस्था द्वारा अपने अधिकारियों अथवा व्यवसायिक बाजार को निर्देशन देने के लिए लगाया जाता है।
- (xi) 'इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन' से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होता है, तथा जो एक निश्चित आधार पर स्थापित होता है। इस प्रक्रिया के तहत विज्ञापन का प्रदर्शन निअन लाईट, LED (एल.ई.डी.), LCS (एल.सी.एस.) के द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों/माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है।
- (xii) 'गंजी विज्ञापन' से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन जो सड़क पर बनाये गये सोपानी मंच या ढांचा, जो प्रायः सड़कों के चारों तरफ रहता है और उस पर विज्ञापन का प्रदर्शन यातायात के विपरीत दिशा में किसी किनारे स्थित किये गये धातु के उन स्तम्भों पर स्थिर किया जाता है, जिन्हें बीम आकृति के सेक्सन से जोड़ा गया रहता है तथा विज्ञापन की दिशा ट्रैफिक की दिशा के विपरीत होती है।
- (xiii) 'ग्लोसाइन बोर्ड बॉक्स विज्ञापन' से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन जो पारदर्शक या अपारदर्शक रबर या प्लास्टिक चादरों पर अक्सर धातुओं के बक्सों से चढ़े या लटके रहते हैं और जिसका प्रदीपन (Illumination) पीछे से बिजली के बल्बों के सहायता से किया जाता है।
- (xiv) 'होर्डिंग' से अभिप्रेत है किसी संरचना की सतह, जिसका निर्माण जमीन पर अथवा किसी छत के किसी भाग में हो या छत के उपर वाले भाग में हो तथा जिसपर शब्दों, अक्षरों या अन्य कोई प्रदर्शन किसी भी प्रकार से, दरवाजा के बाहर भी, जनता का ध्यान किसी स्थान, व्यक्ति सार्वजनिक प्रदर्शन, व्यापारित बस्तुओं या किसी भी चीज की तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है तथा इसमें वे विज्ञापन भी शामिल हैं, जिनमें निअन का प्रयोग होता है, जो एक साथ जलते हैं या क्रमशः जलते-बुझते रहते हैं। इनमें एक या विभिन्न रंगों का उपयोग किया जा सकता है।
- (xv) 'गतिशील विज्ञापन प्रदर्शन' ( 'मोबाईल विज्ञापन प्रदर्शन' ) से अभिप्रेत हैं दो या एक सतह वाले होर्डिंग अथवा किसी गतिशील वाहन के पीछे इस प्रकार से लगाए गए विज्ञापन जो वाहनों को या तो गतिशील रखा जाय या ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर खड़ा किया जाय जहाँ अक्सर लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा होते हैं ताकि ऐसी जगहों पर उचित रूप से विज्ञापन को दिखाया जा सके।
- (xvi) 'पोस्टर' से अभिप्रेत है कागज या अन्य कोई ऐसी चीज जिसका प्रयोग सार्वजनिक जगहों पर विज्ञापन के लिए किया जाता है।

- (xvii) 'विहित आवेदन पत्र' से अभिप्रेत है आवेदन के ऐसा प्रारूप जिसे आयुक्त द्वारा परिशिष्ट-क में निर्दिष्ट किया गया है तथा जिसके द्वारा किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने की अनुज्ञा अथवा किसी वाह्य माध्यम से विज्ञापन के लिए पूर्व में प्राप्त अनुज्ञा का फिर से नवीकरण करने के लिए नगर निगम को आवेदन किया जाय।
- (xviii) 'स्क़ोलर डिस्पले विज्ञापन' से अभिप्रेत है ऐसा विज्ञापन जिसमें बक्सानुमा रोलर की सहायता से मुड़े हुए विज्ञापन शीट को स्क़ोल करके दिखाया जाता है। यह प्रकाशयुक्त या प्रदीपनयुक्त हो सकता है या प्रदीपनहीन हो सकता है या इसके पीछे प्रकाश जल सकता है।
- (xix) 'आकाश चिन्ह' से अभिप्रेत है ऐसा शब्द, अक्षर, नमूना, चिन्ह, उपाय या प्रतिनिधित्व, जिसकी प्रकृति घोषणा या निर्देशन जैसी है तथा जो ऐसे किसी स्तम्भ, अथवा किसी मानक ढाँचा पर स्थित या आधारित किया गया हो जो जमीन पर या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से है। यह किसी मकान आदि या किसी भी जगह पर हो सकता है जो आकाश की ओर दृष्टिगोचर होने पर दिखाई पड़ता है। आकाश चिन्ह से आशय ऐसे गुब्बारों, पाराशुट या इस तरह की अन्य सभी युक्तियों से है, जिनका पूर्ण या आंशिक प्रयोग विज्ञापन, उद्घोषण, निर्देशन करने के लिए किसी भूखण्ड, भवन, किसी भी निर्माण, यहाँ तक कि गली में भी किया जा सकता है। परन्तु आकाश चिन्ह में निम्नलिखित समाविष्ट नहीं होंगे:-
- (i) कोई भी ध्वजस्तम्भ, खम्भा या मौसम घड़ी आदि, जबतक इसको किसी विज्ञापन कार्य के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से प्रयोग नहीं किया जाता या घोषणाओं या निर्देशों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता।
  - (ii) कोई भी या बोर्ड या रचना या अन्य उपाय जिसको खूब अच्छी तरह से दीवाल के उपर या दीवाल के बन्द होने के जगहों पर, स्थिर कर दिया जाता है, बशर्ते ऐसे बोर्ड अथवा फ्रेम अथवा अन्य निर्माण निरंतरता में एक सतह बनाते हों, खुला निर्माण नहीं हो तथा जिसकी उँचाई दीवाल के किसी भी हिस्से से तीन फीट की उँचाई पर न हो।
  - (iii) कोई शब्द, अक्षर, मॉडल, चिन्ह या अन्य उपाय जिसका उपर उल्लेख है, जिसका रेल कम्पनी के व्यवसाय से संबंध है, जो जगह पूर्ण रूप से रेलवे के रेलमार्ग, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यार्ड के उपर है और रेल कम्पनी के अधीनस्थ क्षेत्र तक पहुंचती है और जिसे इस तरह से रखा गया है कि यह गली में गिरे नहीं।
  - (iv) किसी भूखण्ड अथवा भवन की बिक्री, किराया पर उठाने से संबंधित सूचना जो किसी भूखण्ड अथवा भवन पर हो।
- (xx) 'अस्थायी मेहराब' का अर्थ होता है कि अस्थायी रचनाएँ जो सड़कों के सभी संभव जगहों पर बनाया जा सकता है या जिसका निर्माण बड़े लोगों के अभिनन्दन के लिए अथवा विज्ञापन के लिए किया जाता है।
- (xxi) 'अस्थायी एकमुस्त विज्ञापन' से आशय ऐसे विज्ञापनों से है जिनका प्रयोग किसी त्योहार आदि के अवसर पर किसी सीमित क्षेत्र अथवा रोड में सीमित अवधि के लिए होता है। इसकी अनुमति का संबंध अस्थायी होर्डिंग, मेहराब, बैनर आदि से है। एकमुस्त व्यवसायिक होर्डिंग में वैसे विज्ञापन भी समाहित हैं जो गतिशील वाहनों यथा सर्विस वैन (सेवा वाहन) तथा/अथवा वितरण वाहन पर लगाये या प्रदर्शित किये जाते हैं।
- (xxii) 'तृदर्शीय विज्ञापन' ('ट्राई-एड') 'तृदर्शीय विज्ञापन' से आशय ऐसे होर्डिंग से है, जिसमें तीन धाराएँ (पैनल) एक साथ घुमते रहते हैं और ये तीनों एक के बाद दूसरा तीन विभिन्न विज्ञापनों को दिखाते हैं और तीन-तीन संवादों को विज्ञापित करते हैं। इसका प्रदीपन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।
- (xxiii) 'वाल पेन्टिंग विज्ञापन' से आशय ऐसे विज्ञापन से है जिसमें मकानों की दीवारों अथवा किसी असैनिक निर्माण पर पेन्ट कर या चित्रकारी बनाकर या लिखकर विज्ञापन किया जाता है।

**भाग-2 ( पार्ट-II )****विज्ञापन अनुमति के सामान्य प्रतिमानक**

3. कोई भी निकाय सक्षम पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह के विज्ञापन को होर्डिंग, निओन, साइन, दीवाल चित्रकारी, गुब्बारा आदि के माध्यम से किसी व्यवसायिक परिसर में यथा- दूकान, शो-रूम, कार्यालय, पेट्रोल पम्प, सिनेमा हॉल या मॉल में प्रदर्शित नहीं कर सकती। इस तरह के विज्ञापन के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के प्रतिमानक का वर्णन इस भाग में होगा। कोई भी निकाय जो इस विनियम का उल्लंघन करते हुए या सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बगैर स्काई साईन या विज्ञापन देता है वह ऐसा अपराध करता है जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 429 और धारा 431 के अंतर्गत दण्डनीय है। परन्तु कुछ खास तरह के विज्ञापन के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनका भी विशद वर्णन इस विनियम में किया गया है।

4. ऐसे होर्डिंगों को ऐसे क्षेत्रों में दिखाने के लिए जो पटना नगर निगम के अन्तर्गत हैं, क्षेत्रों का विभाजन बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 में सड़कों के वर्गीकरण के आधार पर होगा तथा इस संबंध में पटना नगर निगम द्वारा निर्मित विनियमों के अधीन होगा जो नीचे वर्णित है:-

| <b>प्रक्षेत्र</b> | <b>सड़क</b>   |
|-------------------|---|
| क्षेत्र-1         | प्रधान मुख्य मार्ग पर होर्डिंग                            |
| क्षेत्र-2         | मुख्य मार्ग पर होर्डिंग                                   |
| क्षेत्र-3         | प्रधान एवं मुख्य मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों पर होर्डिंग |

**(क) विज्ञापन का आकार:**

होर्डिंग बोर्ड का मानक आकार निम्न प्रकार होगा:-

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| क्षेत्र-1 | 10'x20', 20'x20'                   |
| क्षेत्र-2 | 10'x20', 20'x20', 30'x20'          |
| क्षेत्र-3 | 10'x20', 20'x20', 30'x20', 40'x20' |

सभी वाडों में टेरिस पर यह 60'X20' भी हो सकता है। चौड़े मार्गों पर जिनकी चौड़ाई फुटपाथ को छोड़कर 90 फीट से ज्यादा है, वहाँ बड़े आकार की होर्डिंग जैसे 40'X40' तक की अनुमति भी मिल सकती है, बशर्ते इसके लिए वहाँ भू-खण्ड सतह की उपलब्धता हो।

(ख) किसी भी एक सड़क पर होर्डिंग की लम्बाई चौड़ाई समरूप रखा जायेगा, जिसका निर्णय सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जो मार्ग आगे निकलता है उसकी अनुपातिक सामान्य चौड़ाई क्या है? विज्ञापन वाले होर्डिंग की जो लम्बाई चौड़ाई निर्देशित कर दी जाती है उसकी एकरूपता/अनुरूपता को सभी भागों का ख्याल रखा जाता है।

(ग) मानक आकार के 'सेंडविच होर्डिंग' ( बैक-टू-बैक ) की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(घ) विज्ञापन बोर्ड को सम्पोषित करने वाले संरचनात्मक ढांचा का आकार अनुज्ञा प्राप्त बोर्ड के आकार से बड़ा नहीं हो तथा दोनों तरफ यह वृद्धि 15 सेंटीमीटर से अधिक कदापि नहीं हो। किसी भी स्थिति में उर्ध्वाकार सहिष्णुता की अनुमति नहीं है। सतह तक के कॉलम के अतिरिक्त किसी भी वृद्धि विरूपण को नियम तथा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

(ङ) वे सभी होर्डिंगें, जो मानक आकार की नहीं हैं और जिनकी अनुज्ञा इस विनियम के पहले दी जा चुकी है, उन्हें 30.06.2012 तक लगाये रखने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उक्त होर्डिंगों का नवीकरण तभी किया जा सकेगा जब वे मानक आकार की एवं इस विनियम की अन्य व्यवस्थाओं के अनुरूप हों।

(च)(i) जो बोर्ड पीछे जलता है और जिसकी लम्बाई x चौड़ाई 1.2 मी. x 1.8 मी. है उसे 7 फीट उँचे एकल स्तंभ पर एक के बाद दूसरा लगातार लगाने की अनुमति पटना नगर निगम के कुछ चुने हुए भागों के फुटपाथ पर चाहे वह किसी भी क्षेत्र (जोन) का हो, आवश्यकतानुसार पटना नगर निगम द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते दो ऐसे स्तंभों के बीच की दूरी कम से कम 10 मी. हो।

- (ii) **त्रिदशी पार्श्व प्रदीप्त पट ( ट्राईविजन बैकलिट बोर्ड )**, जिसका आकार 1.4 मी. X 3 मी. हो, को पटना नगर निगम की चुनी हुई सड़को पर फुटपाथ की सतह से अधिकतम 10 फीट की उँचाई वाले एकल स्तंभ पर 15 मी. के अंतराल पर लगाने की अनुज्ञा आवश्यकतानुसार किसी भी प्रक्षेत्र में दी जा सकती है। किन्तु किसी पार्श्व प्रदीप्त (बैकलिट) या त्रिदशीय विज्ञापन को ऐसे फुटपाथ पर लगाने की अनुमति नहीं होगी जिसकी चौड़ाई 10 फीट से कम हों।
- (छ) बस अड्डों (पड़ाव) पर 1.2 मी. x 1.8 मी के आकार वाले पार्श्व प्रदीप्त विज्ञापन बोर्डों को बस पड़ाव के उँपरी या पिछले हिस्से में लगाने की अनुमति दी जा सकती है; हालांकि इसके लिए विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क/किस्त का भुगतान करना होगा।
- (ज) संरचनात्मक बाड़ को इसके पश्चात अप्रदीप्त विशेष विज्ञापन संरचना, जो अस्थायी प्रकृति का है, के रूप में अनुमति दी जायेगी तथा इसे गैर मानक विज्ञापन क्षेत्र माना जायेगा, बशर्ते सतह से इसकी अधिकतम उँचाई 10 फीट तक की हो।
- (झ) विज्ञापन के आकार प्रकार में प्रमाणिकीकरण लाने के लिए सभी विज्ञापनकर्ताओं पर यह वाध्यकारी होगा कि बिजली के खंभो इत्यादी पर विज्ञापन करते समय पूरे शहर में 2'5''X3.2.5' के मानक आकार को ध्यान में रखें।

**5. संरचनात्मक डिजाइन एवं होर्डिंग लगाना:-** होर्डिंग की डिजाइन एवं उसे लगाने में कलात्मक रूप होना चाहिए और इसे सरकार या नगर निगम से अनुज्ञापित वास्तुकार से अनुमोदित संरचनात्मक योजना के अनुरूप होना चाहिए। होर्डिंग के आकार की अनुमति इस प्रकार से प्रदान की जाती है कि उसमें उचित खाका के सभी भागों को सम्मिलित करने पर होर्डिंग देखने में सुंदर लगे। ऐसे खाको की रचनाएँ या तो एक स्तम्भ की हों या अधिकतम दो स्तम्भों से समायोजित हों, लेकिन किसी भी स्थिति में दो से अधिक स्तम्भों से सम्पोषित नहीं होना चाहिए। सभी स्तम्भों एवं होर्डिंग के पिछले भाग को कलात्मक रूप से ढका हुआ रहना चाहिए। सभी होर्डिंग और उनके आधार, होर्डिंग के पिछले भाग की रंगाई गहरे हरे रंग की इनामेल पेन्ट से होनी चाहिए और यह साल में कम से कम दो बार किया जाना चाहिए।

इस खंड की व्यवस्थाओं के अनुरूप रंगे हुए होर्डिंग की अनुज्ञा के नवीकरण के लिए संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र की आवश्यकता प्रत्येक दो सालो पर होगी और यह अनुज्ञप्तिधारी निर्माण अभियंताओं द्वारा होना चाहिए।

होर्डिंग इत्यादि के लिए आवेदन पत्र के साथ कम्प्यूटर से तैयार डिजाइन की आकृति होनी चाहिए जिसमें वाह्य प्रकाशीकरण की व्यवस्थाओं का वर्णन रहना चाहिए। अगर बाद में किसी तरह का विचलन पाया जाता है तो प्रदत्त अनुमति वापस ले ली जायेगी।

**6. भवनों का निर्माणात्मक स्थायित्व या स्थिरताएँ:-**

- (क) किसी भी मकान पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने की अनुमति तभी दी जायेगी जब इसकी जाँच निर्माण स्थायित्व की दृष्टि से कर लिया जाय तथा इस प्रकार के निर्माण संबंधी स्थायित्व प्रमाण पत्र सरकार या निगम के किसी अनुज्ञप्तिधारी निर्माण अभियंता प्रदान कर देते है। होर्डिंग लगाने वाले निकायो को किसी अकास्मिक दुर्घटना में इससे होनी वाली किसी भी क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक बीमा के कागजात प्रस्तुत करने होंगे।
- (ख) विद्यमान होर्डिंग का नवीकरण के अनुमति के आधार रचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र, होर्डिंग का रचनात्मक प्रमाण-पत्र और भवन के रचनात्मक स्थायित्व के प्रमाण पत्र हैं जो प्रत्येक दो वर्षों के बाद देने होंगे और जिन्हें निर्माण अभियंता से प्राप्त किया जा सकता है।

**7. विज्ञापन के लिए अनुमोदन योग्य रंग।-** होर्डिंग पर उपयोग किये जाने वाले रंग किसी भी तरह यातायात सिग्नल के रंगों जैसे नहीं होने चाहिए जैसे लाल, अम्बर और हरा संकेत तथा कोई भी होर्डिंग इस तरह नहीं रखा जायेगा जिससे यातायात सिग्नल की दृष्टिगोचरता में किसी तरह की बाधा पैदा हो।

**8. होर्डिंग बोर्ड की तल स्पष्टता:-**

- (i) होर्डिंग का निचला तल कम से कम 10 फीट (3.05मी.) की उँचाई से नीचे न हो।
- (ii) कोई भी होर्डिंग किसी भी समय फुटपाथ पर प्रक्षेपित नहीं हो।

- (iii) कोई भी होर्डिंग किसी ऐसे सार्वजनिक मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता है जिसपर कोई फुटपाथ न हो या पैदल यात्री के जाने की कोई व्यवस्था न हो।

**9. किसी होर्डिंग बोर्ड की अधिकतम उँचाई:-**

- (i) किसी भी होर्डिंग बोर्ड की अधिकतम उँचाई भूतल से 75 फीट से ज्यादा उँचा नहीं होना चाहिए; इसमें भूतल निकासी अन्तरनिहित है।
- (ii) किसी मकान के टेरेस पर लगाए गए होर्डिंग बोर्ड की अधिकतम उँचाई अधिकतम टेरेस सतह से 12.2 मी. (40 फीट) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें भूतल स्पष्टता/ निकासी भी शामिल है। पुनः इसमें उँचाई का प्रतिबंधन लागू होता है जो हवाई प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा वायुयान को उड़ाने या बैठाने (लैंडिंग) क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट है।
- (iii) कभी भी एक होर्डिंग के ऊपर दूसरा होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है।

**10. किसी दो होर्डिंग के मध्य की बीच की न्यूनतम दूरी :-**

- (i) एक ही सड़क/सरेखण सीध में खंभो पर अवस्थित दो होर्डिंगों के बीच कम से कम दूरी 20 मी. से कम नहीं होनी चाहिए। इसका माप होर्डिंग की परिमिति की दूरी से की जाती है।
- (ii) अगर होर्डिंग सेंडबिच की तरह पीछे से पीछे की ओर हो तो दो सेंडबिच होर्डिंग के बीच की दूरी 20 मी. से कम नहीं होना चाहिए।

**11. होर्डिंग का पंक्तिकरण (सरेखण सीध):-**

- (i) होर्डिंग के क्षेत्रफल की अनुरूपता तथा सरेखण सीध किसी क्षेत्र विशेष में खासकर कर विस्तारण मार्गों पर और स्पष्ट मार्गों पर बनाए रखा जाना चाहिए।
- (ii) अगर होर्डिंग किसी पुल पर हो तो उसकी उँचाई इस तरह से सामंजित की जायेगी कि एक समरूप पंक्ति बने ताकि इसकी उँचाई बांध की दीवाल से उँची न हो।
- (iii) ऐसी एजेसियों को अपने होर्डिंगों का पुनः पंक्तिकरण, पुनः समायोजन अपने लागत पर बिना किसी क्षतिपूर्ति के करना होगा यदि ऐसा करने का आदेश (सक्षम पदाधिकारी) द्वारा उन्हें दिया जाता है।
- (iv) जहाँ तक संभव हो होर्डिंग का प्रदर्शन सड़क के समानान्तर हो। किसी भी सूरत में सड़क तथा होर्डिंग के बीच का कोण  $30^\circ$  के कोण से अधिक नहीं होना चाहिए।

**12. होर्डिंग का एकत्रीकरण** I- होर्डिंग के एकत्रीकरण के लिए किसी भी स्थिति में अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

**13. होर्डिंग का प्रक्षेपण :-**

- (i) किसी भी होर्डिंग ढांचा को जो भवन के बरामदा या निर्मित क्षेत्र में है, आम लोगों के हित को ख्याल करते हुए, इसे भवन की सरेखण सीध से बाहर प्रक्षेपित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- (ii) सड़क के किनारे खुली जगहों में होर्डिंग लगाने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती अगर वहाँ पैदल यात्री के मार्ग नहीं हों।
- (iii) खुली जगहों पर किसी होर्डिंग को फुटपाथ पर प्रक्षेपित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

**14. सक्षम पदाधिकारी** किसी विज्ञापन के लिए विज्ञापन अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकते हैं; किन्तु, इसके लिए कारणों को लिखित रूप में दर्शाना होगा।

**15. व्यावसायिक उद्देश्य** के विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए अस्थायी अनुमति अधिकतम एक महीने के लिए दी जा सकती है, बशर्ते विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन एवं शुल्क का भुगतान कर दिया जाय। आयुक्त के द्वारा विज्ञापन की अनुमति सामान्य रूप से अस्वीकृत नहीं की जायेगी अगर वह बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की व्यवस्थाओं के अनुरूप है और जबतक कि पुलिस विभाग से इस आशय की स्पष्ट आपत्ति व्यक्त नहीं है अथवा इससे आसपास के निवासियों को प्रकाश या वायु विगमन (Ventilation) में बाधा उत्पन्न नहीं होती है।

**16. सरकारी निकाय के परिसर में होर्डिंग** I-ऐसी एजेसियाँ, जो किसी सरकारी निकाय के भूखण्ड, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या अर्द्धसरकारी क्षेत्र, में होर्डिंग लगाने की इच्छुक हैं, उन्हें पहले इसके लिए बिहार नगर पालिका

अधिनियम 2007 की धारा-145 तथा धारा-146 के अन्तर्गत संबद्ध निकाय से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर उपयुक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा। उसके पश्चात् ही उन्हें ऐसी होर्डिंग को लगाने की अनुमति होगी।

विज्ञापन शुल्क मांग की सूचना संबंधित विज्ञापन एजेन्सी को नगर निगम के विनियम के अनुसार भेजा जाना चाहिए। संबद्ध प्राधिकार निकाय की अवस्थिति, होर्डिंग का आकार, होर्डिंग लगाये रखने की अवधि एवं अन्य विवरण उपलब्ध करायेंगे।

**17. रेल परिसर में होर्डिंग** -सिर्फ वैसे विज्ञापन, जिनका संबंध रेलवे के कार्यकलापों से है और जो रेल परिसर में स्टेशन या उसकी दीवाल पर प्रदर्शित हैं तथा जो किसी गली के सामने नहीं हैं, वे सभी नगर निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। अन्य शब्दों में, जो विज्ञापन रेल परिसर में या स्टेशन में हैं और जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं वे बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के विनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आते हैं :-

- (i) ऐसे विज्ञापन/दीवाल चित्र जो रेल विभाग के द्वारा रेलवे के भूखंडों अथवा स्टेशन पर लगाये जाते हैं, जिनका संबंध रेल के अपने कार्यों से नहीं है और जो सामने से दृष्टिगोचर है या जो किसी गली के सामने हैं।
- (ii) विज्ञापन या दीवाल पेन्टींग जो निजी या किसी गैर रेलवे एजेन्सी के द्वारा रेल परिसर में या भूखण्ड में लगाए गए हैं। रेल परिसर में होर्डिंग की अनुज्ञा प्राप्ति के लिए संबद्ध निकायों को नगरपालिका के संबंधित पदाधिकारी के पास विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन देना होता है तथा साथ में रेल निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) भी देना होगा। ऐसे सभी विज्ञापन होर्डिंग, जिसकी रेल अधिकारी के द्वारा मंजूरी दी जाती है, वह इस विनियम के अन्तर्गत NOC या अनुमति प्राप्ति के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे विज्ञापनों के शुल्क की मांग सूचना संबंधित विज्ञापनकर्ता एजेन्सी से नगर निगम की अनुसूची के अनुरूप किया जायेगा और संबंधित पदाधिकारी/निकाय से ऐसी आशा की जाती है कि वह एजेन्सी का नाम, कहां अवस्थित है, कितनी अवधि तक के लिए है, तथा होर्डिंग संबंधी सारा विवरण प्रदान करें। किसी माननीय न्यायाधिकरण के विशेष आदेश के तहत या आयुक्त द्वारा होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में होर्डिंग हटाने की जिम्मेवारी रेल विभाग की होगी।

**18. नियंत्रण ( प्रतिबन्ध ) :-**

- (क) कोई भी प्रकाशीय होर्डिंग, जो चालक से शंकु के रूप में हो, को लगाने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसका NOC यातायात पुलिस विभाग से प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।
- (ख) किसी भी ऐसी होर्डिंग की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है जो इसके सम्मुख के प्रत्येक पहुँच मार्ग की विराम-रेखा से 25 मीटर के कम दूरी पर है और जो एक दूसरे को काटती/छेपती हैं। किसी भी मार्ग के सवारी मार्ग में कोई भी गतिशील होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 1978 के अंतर्गत किसी भी होर्डिंग को उस आवश्यक खुले क्षेत्र में, जिसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के मास्टर प्लान के अंतर्गत खुला रखने की बाध्यता है, लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। क्षेत्रीय योजना, मास्टर प्लान और बड़ा क्षेत्रीय विकास योजना, जिसका निर्माण कार्य इत्यादि हो रहा है (उसकी सुपूर्दगी तथा अनुमोदन), 1978 के इस अधिनियम के मुताबिक जिसमें आम लोगों के मनोरंजन की जगह, उद्यान एवं बगीचा (फुलवारी) आदि है विज्ञापन की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह विज्ञापन/होर्डिंग उस एजेन्सी का न हो जिसको यह कार्य पूरा करने एवं उसके रख-रखाव का दायित्व न दिया गया हो, बशर्ते इसके उपयोग से आम लोगों को बाधा न पहुँचे।
- (घ) किसी भी होर्डिंग को यातायात के समागम स्थल तथा सिग्नल संधि स्थल के चारों ओर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी यदि यह सड़क पंक्ति से 25 मीटर के अंदर के क्षेत्र में हो।
- (ङ) कोई भी दो होर्डिंग उन जगहों पर नहीं लगाये जायेंगे जो हरियाली भरे जगहों या बड़े-बड़े पेड़ों वाले क्षेत्रों को दृष्टि से ओझल करते हों। नदी के किनारे, वाहन खड़ा करने वाले जगहों, तथा कोई भी

जगह जो नदी के किनारे से सटा हुआ है, और जो रोड के तरफ जाता है, उस पर किसी भी तरह की होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (च) किसी भी ऐसी होर्डिंग को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो भवन के प्रकाश या भेनटिलेशन पर प्रभाव डालता है।
- (छ) पुरातात्विक भवन, वास्तुकला (स्थापत्य) भवन, कलात्मक भवन या ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं विरासतीय भवनों के उपर किसी भी तरह का होर्डिंग नहीं लगाया जायेगा।
- (ज) अगर होर्डिंग प्रकाशित है या निअन प्रकाश वाला होर्डिंग है तो उस पर निम्नलिखित नियंत्रण माना जायेगा:-
- (i) प्रदीपन का स्तर किसी तरह से 1 cd/cm square की प्रोत सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 प्रदीपन 11 बजे रात्रि के बाद जारी नहीं रहना चाहिए।
- (ii) जब निओन चिन्ह रिहायशी इलाकों में (घरों के) हो, तो प्रकाश को जलते-बुझते नहीं रहना चाहिए। जहाँ आम आदमी के रहने का जगह हो वहाँ किसी भी स्थिति में निओन साईन नहीं जलना चाहिए।
- (iii) निओन साईन को 10 बजे रात्रि के पहले बुझा देना चाहिए।
- (iv) कोई विडियो या चलन्त सांख्यिक विज्ञापन उन स्थानों पर नहीं होगा। LED प्रदर्शन आदि स्थिर रहना चाहिए। किसी तस्वीर (Image) का परिवर्तन न्यूनतम 10 सेकेंड के बाद होना चाहिए।
- (झ) जहाँ तक एक जगह पर दो होर्डिंग लगाने का सवाल है, किसी प्लॉट पर अधिकतम एक होर्डिंग के हिसाब से अनुमति दी जायेगी। प्रति 400 वर्गमीटर में दूसरा होर्डिंग लगवाने के लिए भू-मालिक को कम से कम अतिरिक्त पुनः 400 वर्गमीटर जगह की आवश्यकता होगी।
- (अ) किसी भी तरह का होर्डिंग मृत दीवारों के अतिरिक्त अन्य दीवारों पर नहीं लटकाया जायेगा हालांकि विनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत रैप अप निअन/डिजीटल विज्ञापन अन्य दीवारों पर भी दिखाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ट) किसी भी भवन के टेरेस पर 400 वर्ग मीटर बरामदा तक एक से अधिक होर्डिंग लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, परन्तु इसके (हाउसिंग सोसाईटी का इस आशय के निर्णय के साथ-साथ) लिए मकान के सबसे उपर मंजिल पर जो लोग रहते हैं, उनसे सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।
- (ठ) होर्डिंग के प्रदीपन के लिए डीजल जेनेटर चलाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे शोरगुल एवं प्रदूषण पैदा होता है।

#### 19. नगर निगम की सम्पत्ति के ऊपर होर्डिंग लगाना :-

- (क) नगर निगम की सम्पत्ति पर किसी भी तरह की होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी, बशर्ते ऐसा करने के लिए निविदा निर्मात्रित नहीं किया जाय। मौजूदा सभी होर्डिंग को उनके एकरारनामा की अवधि के समापन अथवा दिनांक-31.08.2008 तक, जो भी पहले हो, हटा दिया जायेगा।
- (ख) विज्ञापन पट्ट या होर्डिंग के फुटपाथ अथवा सड़क के उपर प्रक्षेपण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी, ताकि इनके सौंदर्य अक्षुण्ण रहें तथा पैदल यात्रियों की आवाजाही और आमजन की सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

20. प्लवमान (तैरते) गुब्बारों के विज्ञापन प्रदर्शन के लिए प्रतिमानक I-प्लवमान (तैरते) गुब्बारों के द्वारा प्रदीपनयुक्त या प्रदीपनहीन विज्ञापन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की स्थिति में दी जा सकती है :-

- (क) एजेन्सी अपने गुब्बारों को इस तरीके से प्रदर्शित करेगी कि किसी दूसरे विज्ञापन को बाधा नहीं पहुँचे या फिर उस विज्ञापन में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो।
- (ख) एजेन्सी वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगी जिससे उक्त विज्ञापन के प्रदर्शन के दौरान कोई खतरा या आकस्मिक परिस्थितियाँ उत्पन्न न हो या उनसे बचा जा सके।



- (ग) एजेन्सी को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से प्राप्त निरापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा तथा उसे तत्संबंधी नियमों एवं विनियम का अनुपालन करना होगा।
- (घ) एजेन्सी को उन सभी दुर्घटनाओं अथवा/और चोट/क्षति की क्षतिपूर्ति करनी होगी जो किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति को ऐसे गुब्बारे, सामग्री, गैस अथवा इस प्रकार की अन्य युक्तियों के उपयोग के कारण होता है चाहे वह उक्त गुब्बारे के गिरने के कारण होता है अथवा इसके किसी भाग के आंधी के कारण गलत निर्माण, लापरवाही, दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से होता है।

**21. दीवाल चित्रकारी के द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए प्रतिमानक।**—किसी दीवाल पर पेन्टिंग द्वारा विज्ञापन को दिखलाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

**22. व्यवसायिक परिसर में विज्ञापन दिखलाने के प्रतिमानक।**—किसी व्यवसायिक परिसर में प्रदीप्त बॉक्स में ग्लो साईन अथवा प्रदीप्त निअन साईन नाम पट्ट लगाने की अथवा नियमित करने की अनुज्ञा बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-146 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत दी जायेगी। व्यवसायिक परिसर में ग्लो साईन बॉक्स, प्रदीप्त निअन साईन नाम पट्ट जैसे विज्ञापनों की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन होने की स्थिति में दी जायेगी :-

- (क) लाल, अम्बर या हरा रंग का कोई प्रदीप्त चिन्ह उस जगह पर लगाया या बरकरार नहीं रखा जा सकता है जो किसी प्रदीप्त ट्रैफिक साईन से 10 मीटर की क्षितिजाकार दूरी के भीतर अवस्थित हो। उन सभी विज्ञापित चित्रों में जो दो मंजिला भवनों की उँचाई से कम या फुटपाथ से 6 मीटर उपर है, तथा दोनों में जो ज्यादा है, में यदि सफेद रंग के प्रकाश के अतिरिक्त अन्य रंगों के प्रकाश से प्रदीपन है, तो उसे इस प्रकार दिखाया जायेगा जिससे यातायात नियंत्रण के किसी संकेत में हस्तक्षेप नहीं हो।
- (ख) कोई भी व्यक्ति ऐसे चिन्ह का प्रयोग नहीं करेगा जो इतने अधिक प्रकाश से प्रकाशित हो कि उससे आस पड़ोस के निवासियों अथवा बगल के आवासीय भवनों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। इस प्रकार के किसी विज्ञापन लगाने की अनुज्ञा प्राप्त होने के बावजूद यदि इसे लगाने के बाद प्राधिकार को लगे कि इसमें इतना अधिक प्रदीपन है जिससे पार्श्ववर्ती भवनों के धारकों को बाधा पहुंच रही है तो प्राधिकार के आदेश से उसमें सम्बद्ध स्थल के स्वामी द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त अवधि में आवश्यक परिवर्तन अथवा हटाने का काम किया जायेगा।
- (ग) कोई भी विद्युत चिन्ह, जो प्राधिकार की राय में जनहित के लिए आवश्यक जनसुविधाओं, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक विद्युत चिन्हों के अतिरिक्त हैं, रात्रि के 11 बजे के बाद जलाये नहीं जायेंगे।
- (घ) कोई भी ऐसा भूतल चिन्ह नहीं लगाया जायेगा, जिससे किसी मकान में पहुंचने या उससे निकलने में बाधा पहुंचती है।
- (ङ) कोई भी प्रक्षेपण चिन्ह या उसके आधार या ढांचा का कोई भी हिस्सा भवन के बाहर तक निकला हुआ (प्रक्षेपित) नहीं रहेगा, साथ ही गली के सम्मुख के भूखण्ड सीमा (प्लॉट लाईन) के बाहर भी ऐसा प्रक्षेपण नहीं होगा।
- (च) किसी व्यावसायिक परिसर में सिर्फ ऐसे विज्ञापन को दिखाने की अनुज्ञा दी जा सकती है, जो बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा प्रदान करने से संबंधित हैं।

**23. ऐसे विज्ञापन जिनके लिए अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**—निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापनों, जिनमें प्रदीपन वाले विज्ञापन तथा आकाश चिन्ह शामिल नहीं हैं, के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:-

- (क) जो विज्ञापन खिड़की के अंदर दिखाये जायें।
- (ख) जो विज्ञापन रेल के कार्यकलाप से संबंधित हैं और जिनको परिसर के भीतर दिखाया जाए किन्तु जो किसी गली या मार्ग के सामने न हों।
- (ग) किसी व्यावसायिक परिसर में नामपट्ट सहित वैसे विज्ञापन जिनका संबंध उस परिसर में संचालित व्यापार से है।
- (घ) किसी भवन परिसर में ऐसा विज्ञापन जिसका संबंध उस भवन परिसर की बिक्री या भाड़ा पर लगाने तथा इससे संबंधित किसी अन्य कार्यों से हैं।

**24. निःशुल्क विज्ञापन की अनुज्ञा** I- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-145 एवं धारा-146 के अंतर्गत आयुक्त को स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करते हुए विज्ञापनों को निःशुल्क दिखलाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है, अगर विज्ञापन का संबंध धार्मिक, शैक्षणिक या दार्त्विक सहयोग के उद्देश्य से है तथा आवेदक संस्था उक्त उद्देश्यों हेतु आई0जी0, रजिस्ट्रेशन के यहां विधिवत् पंजीकृत है। अगर विज्ञापन दिखाने का काम किसी संस्था, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या फिर पटना नगर निगम स्वयं का है, तो इस स्थिति में आयुक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-146 के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

### भाग-3 ( पार्ट-III )

**आवेदन की प्रक्रिया :**

**25. नियमित विज्ञापन अनुज्ञा हेतु आवेदन :**

- (क) आवेदक निकायों को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु निगम कार्यालय के अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स) प्रभाग में एक विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-क) में आवेदन करना होगा।
- (ख) होर्डिंग, बैलून इत्यादि जैसे विज्ञापन के संदर्भ में विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र के साथ-साथ निर्दिष्ट प्रक्रमण शुल्क (Processing Fee) भी जमा करना होगा। व्यावसायिक परिसरों में विज्ञापन दिखलाने के लिए किसी प्रक्रमण शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

**26. रूक्ष ( Rough ) होर्डिंग, गुब्बारों इत्यादि के द्वारा विज्ञापन के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले कागजात** I- होर्डिंगों, गुब्बारों इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन हेतु आवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कागजात आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे :-

- (क) (i) उस मकान मालिक या भूमि-मालिक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जिस पर कि विज्ञापन दिखलाने का प्रस्ताव है।
- (ii) अगर जिस भूमि पर विज्ञापन दिखलाने का प्रस्ताव है वह किसी सार्वजनिक प्राधिकार जैसे नगर निगम या सरकार इत्यादि से पट्टा पर प्राप्त है तो इसमें पट्टा पर देने वाले का भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
- (iii) अगर होर्डिंग किसी मकान के टेरेस पर है तो उसमें सबसे उपरी मंजिल पर रहने वाले लोगों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना परमावश्यक है।
- (ख) अगर NOC किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी का है, तो इसकी आम सभा की बैठक में पारित निर्णय की प्रतिलिपि जो इस सोसाईटी के ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित हो।
- (ग) निगम की पट्टाधृति (Leasehold) सम्पत्ति के संदर्भ में 'परिशिष्ट-ख' तथा 'परिशिष्ट-ग' में विनिर्दिष्ट प्रारूप में एजेन्सी तथा स्वामी/को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी के द्वारा एक संयुक्त क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र (Indemnity Bond)-सह-वचनबंध (Undertaking) ।
- (घ) निगम के द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि के संदर्भ में पट्टेदार एवं एजेन्सी द्वारा विहित प्रारूप (परिशिष्ट-ग) में निगम के सम्पदा (Estate) विभाग को एक संयुक्त वचनबंध कि इस संदर्भ में निर्धारित अतिरिक्त भूतल भाड़ा का भुगतान करने के लिए वे पूर्ण उत्तरदायी हैं।
- (ङ) लोकेशन की मुख्य योजना की दो प्रतियाँ जो 1'' :2500' के माप में और ब्लॉक योजना जो 1'' :250' के स्केल का हो।
- (च) अभिकल्प (Design) रंग योजना तथा रेखाचित्र (Sketch) की दो प्रतियाँ जिनमें प्रस्तावित स्थान का सही लोकेशन दिखाया गया है तथा जिसमें कम्प्यूटर पर तैयार डिजाईन इमेज तथा बाह्य प्रकाशीय स्थिरीकरण आदि का दशार्था जाना भी शामिल हो।
- (छ) 10' X 8' साईज फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ जो प्रस्तावित स्थल से 60 मीटर की दूरी से ली गयी हों तथा जिसमें प्रस्तावित होर्डिंग का निशान उपयुक्त स्थान पर अंकित हो।
- (ज) लोकेशन प्लान की दो प्रतियाँ जिसमें प्रस्तावित स्थल से 50 मीटर के अंदर मौजूद पेड़ों एवं अन्य किसी होर्डिंग को उसी संरेखण सीध एवं उसके विस्तार को दिखाया गया हो। मालिका का भी विवरण, यदि ज्ञात हो, दिया जा सकता है।

- (झ) यातायात पुलिस अधीक्षक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अगर विज्ञापन में प्रदीपन करना है।
- (अ) भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग का आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (ट) संरचनात्मक अभिकल्प (Design)/योजना तथा साथ में संरचनात्मक डिजाईन की गणना जो लाईसेन्सधारी निर्माण अभियंता से अनुमोदित हो।
- (ठ) निर्माण स्थिरता का प्रमाण पत्र जो उस भवन के अनुज्ञप्ति प्राप्त निर्माण अभियंता से प्राप्त हो जिस भवन पर विज्ञापन लगाया जाना है तथा होर्डिंग संरचना के निर्माण स्थिरता प्रमाण-पत्र।
- (ड) अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाली एजेन्सी को 'बिहार दूकान एवं स्थापना अधिनियम' के अंतर्गत निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र भी देना होगा।
- (ढ) होर्डिंग निर्माण की संरचनात्मक डिजाईन/योजना जो अनुलग्नक-1 में होर्डिंग लगाने के लिए उल्लेखित विशिष्टीकरण के अनुरूप है।

**27. व्यावसायिक परिसरों में प्रदीप्त ग्लो-साईन, निओन साईन इत्यादि के द्वारा विज्ञापन हेतु अनुज्ञा प्राप्ति आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजात :-**

- (क) व्यावसायिक परिसरों के किराया प्राप्ति की रसीद की प्रतिलिपि अथवा कोई अन्य कागजात जो उस जगह के भौतिक या कानूनी स्वामित्व से संबंधित हो अथवा 'बिहार दूकान एवं स्थापना अधिनियम' के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (ख) विज्ञापन पट्ट का रेखाचित्र जिसमें उसके विस्तार एवं प्रदर्शित किये जाने वाले विषय का विस्तृत विवरण हो।

**28. निःशुल्क विज्ञापन के लिए आवेदन :**

- (क) निःशुल्क विज्ञापन की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने पत्र शीर्ष पर नगर निगम आयुक्त के नाम से आवेदन करना होगा।
- (ख) आवेदक को प्रोसेसिंग फी के रूप में ₹0 100/- तथा सम्प्रभुति जमा के रूप में ₹0 400/- नगर निगम के कार्यालय में आवेदन के साथ जमा करना पड़ेगा।
- (ग) सम्प्रभुति राशि जब्त कर ली जा सकती है, अगर जिन शर्तों पर अनुज्ञा दी गयी है, उसमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन आवेदक द्वारा किया जाता है अथवा अनुज्ञा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आवेदक द्वारा बैनरों को हटाया नहीं जाता।
- (घ) आवेदक को उस कार्यक्रम या उद्देश्य के पूरा होने के साथ ही विज्ञापन को हटाने के लिए व्यवस्था करनी होगी तथा इसकी अवधि सामान्यतः 10 दिनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालय सम्प्रभुति जमा, जो ₹0 400/- का होता है, को वापस करने की व्यवस्था करता है। बशर्ते इस राशि को किसी शर्त के उल्लंघन के कारण जब्त न कर लिया गया हो।
- (ङ.) सामान्यतः केवल कपड़े का बैनर जिसका साईन 10' X 3' से अधिक न हो, अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी सूरत में दीवाल पर पोस्टर लगाकर विज्ञापन करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
- (च) निःशुल्क विज्ञापन की अनुज्ञा केवल सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

**29. अस्थायी विज्ञापन अनुज्ञा के लिए आवेदन :**

- (क) अस्थायी विज्ञापन जैसे- रोड-शो, भवन को ढंककर विज्ञापन, फैलाने वाला विज्ञापन जिनमें नगर निगम की सड़कों/फुटपाथ पर राजनीतिक दल, धार्मिक/शैक्षणिक संस्था तथा निजी लोगों द्वारा किये जाने वाले विज्ञापन भी शामिल हैं, की अनुज्ञा के लिए परिशिष्ट-क में निर्दिष्ट प्रपत्र में पटना नगर निगम की अनुज्ञप्ति विभाग में समर्पित करना होगा।
- (ख) विधिवत् भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आवेदक को ₹0 1000/- प्रोसेसिंग फी के रूप में जमा करना होगा।
- (ग) आवेदक को उस कार्यक्रम या उद्देश्य के पूरा होने के साथ ही विज्ञापन को तुरंत हटाना होगा या हटाने की व्यवस्था करनी होगी, सामान्यतः इस कार्य के लिए एक महीने से ज्यादा की अवधि नहीं लगनी

चाहिए। इस आशय की सूचना प्राप्त होने के बाद नगर निगम राशि लौटाने की व्यवस्था करता है, बशर्ते राशि किसी शर्त के उल्लंघन के कारण जब्त न कर ली गयी हो।

### 30. होर्डिंग विज्ञापन अनुज्ञा के लिए शुल्क :-

- (क) शुल्क की देयता अनुलग्नक-1 में उल्लेखित अनुसूची के अनुसार होगी जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है। अनुज्ञा प्राप्त करने के 3 महीने पूरे होने पर अथवा विज्ञापन के वास्तविक प्रदर्शन में, जो भी पहले हो, 3 महीने के अंदर होर्डिंग नहीं लगाया गया तो इसके लिए दी गयी अनुज्ञा रद्द हो जाती है, किन्तु आवेदक सहित कोई भी निकाय इसके लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया तहत नया आवेदन दे सकता है।
- (ख) अनुज्ञा समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर पूरे साल के लिए शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा।
- (ग) शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट अवधि के अंदर नहीं कर दिया जाता तो 3 महीने तक के विलम्ब के लिए एक संगठित राशि जो अनुज्ञा शुल्क का 25 प्रतिशत होगी, 6 महीना के विलम्ब के लिए अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा तथा 6 महीना से अधिक के विलम्ब की स्थिति में अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (घ) एजेन्सी के लिए जनहित की कोई सूचना या संदेश अथवा अन्य कोई सूचना जिसके लिए पटना नगर निगम निर्देश दे, को वर्ष में 15 दिनों के लिए दिखाना बाध्यकारी होगा तथा इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (ङ) अगर बिना किसी वैध अनुज्ञा के कोई संरचना विज्ञापन प्रदर्शन के लिए बनाया पाया जाता है अथवा कोई होर्डिंग खड़ा किया पाया जाता है अथवा कोई विज्ञापन प्रदर्शित पाया जाता है तो ऐसे अनधिकृत निर्माण, होर्डिंग खड़ा करने अथवा विज्ञापन देने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-151, धारा-152 तथा धारा-431 अंतर्गत कार्रवाई के अतिरिक्त उक्त एजेन्सी को इस प्रकार के होर्डिंग एवं विज्ञापन को बिना किसी सूचना के प्राप्त हुए हटाने का दायित्व होगा तथा उक्त निकाय को ₹0 50,000/- का जुर्माना भी भरना होगा।
- (च) विज्ञापन अनुज्ञापति के नवीकरण के समय एजेन्सी को सक्षम पदाधिकारी से पृष्ठांकन करने के लिए अनुज्ञा पत्र समर्पित करना होगा तथा आवश्यक शुल्क नगद, अदायगी आदेश या डी0डी0 के रूप में जमा करना होगा। अगर चेक से भुगतान किया जाता है तो चेक राशि प्राप्त होने पर ही परमिट का पुनः नवीकरण किया जा सकता है। अगर प्रतिभूति जमा पेड़ों के रख-रखाव अथवा निगम के फुटपाथ के उपर प्रक्षेपण के कारण पूर्ण या आंशिक जप्त कर लिया गया है तो इस तरह की जप्ती के कारण प्रतिभूति जमा में जो कमी आई है उसको परमिट के नवीकरण के पहले पूरा कर लिया जायेगा, बशर्ते इसके प्रतिसंहरण का निर्णय न कर लिया जाय।

### 31. व्यावसायिक परिसर में अन्य विज्ञापनों के लिए शुल्क एवं निक्षेप (जमा) :-

- (क) परमिट की मंजूरी मिलने पर अनुज्ञा आदेश की तिथि से 10 दिनों के भीतर एजेन्सी को निर्धारित वार्षिक शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा। एजेन्सी को एक महीना के विज्ञापन शुल्क के बराबर का शुल्क परमिट शर्तों के अनुपालन के लिए देना होगा जो अनुज्ञा पत्र निर्गत होने के 10 दिनों भीतर देय होगा। अगर जमा राशि किसी शर्त के उल्लंघन के कारण पूर्ण या आंशिक जप्त कर ली जाती है तो इससे निक्षेप में जो कमी आयेगी उसको 15 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जायेगा। ऐसे परमितों का नवीकरण परमिट के समापन की तिथि के पूर्व ही 10 दिनों के भीतर कर दिया जायेगा।
- (ख) अस्थायी परमितों यथा गुब्बारा, लपेटन, फैलाने वाला विज्ञापन, रोड-शो, राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, शैक्षणिक/धार्मिक संस्था अथवा व्यापारिक संस्था आदि के संदर्भ में आयुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क उक्त अनुज्ञा प्राप्त होते ही भुगतान कर देना होगा।

**32. परमिटधारकों/अनुज्ञप्तिधारकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :**

- (क) परमिटधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संरचना/निर्माण या विज्ञापन पट्टी कलात्मक ढंग से बनायी गयी हो, इसका उचित रख-रखाव किया जाय तथा होर्डिंग संरचना/निर्माण और होर्डिंग के पिछले भाग को गहरे हरे इनामेल रंग से पेन्ट कर दिया जाय।
- (ख) परमिटधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अश्लील प्रकृति का कोई विज्ञापन या किसी भी प्रकार का अप्रिय संवाद दिखाया नहीं जायेगा।
- (ग) होर्डिंग के द्वारा विज्ञापन करने वाली एजेन्सी को उचित आकार का अपना नाम पट्ट लगाना अथवा दिखाना होगा जिसपर होर्डिंग को प्रदत्त परमिट संख्या का उल्लेख होर्डिंग के किनारे में होगा, ताकि एजेन्सी को आसानी से पहचाना जा सके। इसमें सांख्यिक संकेतों द्वारा यह भी दर्शाया जायेगा कि किस माह एवं साल में परमिट समाप्त हो रहा है जैसे- सितम्बर, 2002 के लिए 9/2002 इत्यादि।
- (घ) इस प्रकार अनुज्ञा प्राप्त करने वाली उक्त एजेन्सी का सम्पूर्ण दायित्व होगा कि वह बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-145 एवं धारा-146 के तहत निगम के फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट से दोनों तरफ 25 मीटर दूरी तक विद्यमान पेड़ों का रख-रखाव, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- (ङ) परमिटधारक को कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिखाना होगा, जिसमें शराब या तम्बाकू या तम्बाकू से संबंधित उत्पादन का प्रचार हो।

**33. विज्ञापन अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण**।-होर्डिंग परमिट का हस्तांतरण सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही समय-समय पर आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट हस्तांतरण शुल्क के भुगतान के बाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है :-

- (क) परमिटधारक एजेन्सी तथा भू-मालिक/को-ऑपरेटिव सोसाईटी से लिखित सहमति लेने के बाद।
- (ख) कानूनी हस्तांतरण के संदर्भ में, वास्तविक मालिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र और कानूनी उत्तराधिकार या हक का प्रमाण तथा अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (ग) शपथ पत्र जिसमें नगर निगम आयुक्त को अन्य दावेदारों की स्थिति में क्षतिपूर्ति की वचनबद्धता।
- (घ) हस्तांतरण अगर बिक्री के द्वारा होता है, तो बिक्री का दस्तावेज एवं क्रय करने वाले से क्षतिपूर्ति बॉण्ड ताकि निगम सभी तरह के दावे की क्षतिपूर्ति दे सके।

**भाग-4 ( पार्ट-IV )**

**आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया**

**34. सूक्ष्म जांच :-**

- (क) आवेदन जमा करने के वक्त नामोद्दिष्ट पदाधिकारी, जो आवेदन स्वीकार करेंगे, भरे हुए आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजात की पूर्ण जांच करेंगे। अगर आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है तभी उसे आवश्यक प्रोसेसिंग फी के साथ स्वीकार किया जायेगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह सभी तरह से पूर्ण आवेदन ही जमा करें।
- (ख) विस्तृत सूक्ष्म जांच के साथ-साथ स्थल निरीक्षण का कार्य 15 दिनों के भीतर नामोद्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा कर लिया जाना चाहिए तथा उक्त अवधि में ही उक्त पदाधिकारी उक्त विषयक अपना प्रतिवेदन अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ अतिरिक्त सहायक आयुक्त अग्रसारित करेंगे। अतिरिक्त सहायक आयुक्त, राजस्व जिसकी जांच कर संस्तुति प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपनी संस्तुति के साथ आयुक्त के पास अग्रसारित करेंगे।
- (ग) आवेदन की अस्वीकृति की दशा में आवेदक इस विनियम के भाग-5 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन नगर निगम बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं।

35. आवेदन का निष्पादन I-सक्षम पदाधिकारी को विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा संबंधी सभी आवेदनों को एक निश्चित अवधि में, जो आवेदन देने की तिथि से दो महीना की अवधि से ज्यादा न हो, उसका निष्पादन कर देना चाहिए।

#### भाग-5 ( पार्ट-V )

36. अपीलीय पदाधिकारी : आयुक्त के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार नगर निगम बोर्ड में निहित है।

37. अपील करने की प्रक्रिया :

- (क) सम्बद्ध पदाधिकारी के आदेश या कार्रवाई के कारणों की जानकारी, जैसी स्थिति हो, प्राप्त होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर रू0 200/- के अपील शुल्क के साथ अपील दायर हो जाना चाहिए।
- (ख) पर्याप्त कारण के आधार पर अपीलीय पदाधिकारी अपने स्व-विवेक से इस कार्य में 30 दिनों तक के विलम्ब को माफ कर सकता है।
- (ग) अपीलीय पदाधिकारी, जहां तक सम्भव हो, 4 सप्ताह के अंदर इस अपील का निर्णय कर देंगे।
- (घ) होर्डिंग मालिक या अनुज्ञप्तिधारक अपील की लम्बता की अवधि में अभिकथित होर्डिंग पर कोई भी विज्ञापन नहीं दिखायेंगे।

नोट :— इस विनियमावली के हिन्दी संस्करण में किसी भी स्पष्टता/संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को प्रमाणिक दस्तावेज (authoritative version) माना जायेगा।



10. कार्य स्थल (Site) की अवस्थिति (Location) :

उन सड़कों के नाम जो दृष्टिगोचर हैं।

सड़कों की श्रेणी -

प्रधान मुख्य सड़क/ मुख्य सड़क/ अन्य सड़क

सड़क की चौड़ाई -

25 मी० के भीतर होर्डिंगों की संख्या-

25 मी० के भीतर पेड़ों की संख्या (किसी किनारे पर) -

क्या पेड़ों को काटने की आवश्यकता है -

हाँ/ नहीं

11. भू-मालिक का नाम -

12. भू-मालिक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित है -

हाँ/ नहीं

13. क्या जो कागजात जमा किये गये हैं वे भाग-3बी/3सी के अंतर्गत हैं? :-

हाँ/ नहीं

मैंने पटना नगर निगम के नीति निर्देश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि जो भी सूचना मेरे द्वारा दी गयी है अगर वह गलत पायी जाती है तो मैं कानून के अधीन जो भी दण्ड व्यवस्था है उसका भागी बनूँगा।

दिनांक-

आवेदक का हस्ताक्षर

पदनाम

-----यहाँ से काटें-----

**केवल कार्यालय प्रयोग के लिए**

क्या आवेदन दिशा निर्देश के भाग-4 के अनुरूपपूर्ण है :-

हाँ/ नहीं

अगर हाँ तो बतायें :-

(क) पंजीकरण संख्या -

(ख) प्रक्रमण शुल्क (Processing Fee) -

(ग) जमा राशि -

(घ) आवेदन प्राप्ति की तिथि -

(ङ) बुलाने की तिथि -

अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर



परिशिष्ट 'ख'  
क्षतिपूर्ति बंध-सह-वचनबंध  
रू० २००/- के स्टाम्प पेपर पर

सेवा में,

आयुक्त,

पटना नगर निगम, पटना।

विषय : ..... में

विज्ञापन प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा प्राप्ति।

मैं श्री/ श्रीमती/ मेसर्स ..... उम्र-.....वर्ष, जो .....  
..... में अवस्थित सम्पत्ति के मालिक हैं अथवा सोसाईटी के संदर्भ में।

..... को-ऑपरेटिव सोसाईटी की व्यवस्थापन समिति के  
हम/ श्री/ श्रीमती 1. .... 2. .... 3. ....  
..... 4. .... (इसके बाद मालिक कहा जायेगा)

या न्यास होने की स्थिति में

2. मैं श्री/ श्रीमती ..... का मालिक/ पार्टनर/ फर्म का डायरेक्टर जिसका  
रजिस्टर्ड कार्यालय ..... में  
अवस्थित है और मेरा आवास .....में है।

(यहाँ इसको विज्ञापनकर्ता कहा जायेगा)

जहाँ कि विज्ञापनकर्ता ने पटना नगर निगम के नाम विज्ञापन दिखाने की अनुमति के लिए बी.एम.ए. एक्ट, 2007  
की धारा-146 के अंतर्गत आवेदन कर दिया है और जहाँ कि सम्पत्ति मालिक ने .....  
में अवस्थित जगह पर होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति दे दिया है और जहाँ, विज्ञापनकर्ता ने विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा के  
लिए आवेदन किया है ..... और हम, मालिक एवं विज्ञापनकर्ता,  
इस संदर्भ में निर्दिष्ट शर्त एवं नीति के तहत संयुक्त वचनबंध समर्पित करते हैं।

मालिक एवं विज्ञापनकर्ता एतद् द्वारा वचन देते हैं :-

- (i) कि मालिक एवं विज्ञापनकर्ता विज्ञापन अनुज्ञा हेतु निगम के द्वारा बनाये गये विनियम एवं दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे।
- (ii) मालिक एवं विज्ञापनकर्ता एतद् द्वारा पुनः घोषणा करते हैं कि होर्डिंग लगाने एवं विज्ञापन के प्रदर्शन से मालिक के मकान एवं आसपास के भवनों एवं/ अथवा परिसरों में हवा, प्रकाश ओर भेंटिलेशन आदि संबंधी किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचेगी।

- (iii) मालिक/ सोसाईटी एतद् द्वारा पुनः पुष्टि करता है कि आम सभा की दिनांक-..... की बैठक ने निर्णय कर पारित कर विज्ञापनकर्ता को सोसाईटी परिसर में होर्डिंग लगाने और विज्ञापन दिखाने की अनुमति दे दी है। तदनुसार सोसाईटी के अंकेक्षक ने निर्णय की प्रतिलिपि को प्रमाणित किया है।
- (iv) मालिक एवं विज्ञापनकर्ता उचित अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील अपनी समस्याओं के निवारणार्थ निर्दिष्ट दिशा निर्देश के आलोक करने का वचन देते हैं। मालिक एवं विज्ञापनकर्ता अपनी सहमति फिर दुहराते हैं कि अपीलीय प्राधिकार का निर्णय जैसा कि दिशा निर्देश में निर्दिष्ट है वह अंतिम होगा और उनके लिए बाध्यकारी होगा।
- (v) मालिक एवं विज्ञापनकर्ता एतद् द्वारा पुनः सहमत होते हैं और वचन देते हैं कि वे लोग इसके बाद हर समय पटना नगर निगम और निगमायुक्त अथवा दोनों में से एक को भी सभी कार्रवाईयों, कानूनों, मुकदमों, लागत दावा से सुरक्षित और बचा कर रखेंगे, क्षतिपूर्ण, जो नगर निगम या आयुक्त या दोनों के खिलाफ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भवन स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा करने के लिए किये जायेंगे।
- (vi) हमलोग पुनः सहमत हैं और वचन देते हैं कि नगर निगम या निगम आयुक्त किसी भी उस तरह के कानूनी मुकदमों में जवाबदेह नहीं होंगे जो विज्ञापनकर्ता या मालिक के बीच होगा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच के संबंध में होगा।
- (vii) हमलोग पुनः निगम या निगम आयुक्त को निम्न के संदर्भ में क्षतिपूर्ति का वचन देते हैं:-
- (क) भवन की संरचनात्मक स्थिरता के लिए जिसके उपर होर्डिंग लगाने का प्रस्ताव किया जाता है, साथ ही होर्डिंग संरचनात्मक स्थिरता के लिए,
- (ख) इसके कलात्मक विचार प्रदर्शन,
- (ग) प्रस्तावित होर्डिंग के सामने 25 मीटर के भीतर की दूरी तक पेड़ों की सुरक्षा के लिए।
- (viii) ये लिखित बातें हमलोग, हमारे उत्तराधिकारी, हमारे कार्यान्वयन कर्ता, प्रशासक और अन्य जिसको भी यह कार्य दिया गया है सबके लिए बंधन है।

दिन- ..... वर्ष- ..... दिनांक-.....

आपका विश्वासी

( )

गवाह :

( )

(1) .....

(2) .....

परिशिष्ट 'ग'

वचनबंध

रु० २००/- के स्टाम्प पेपर पर

सेवा में,

आयुक्त,

पटना नगर निगम, पटना।

विषय : .....

विज्ञापन प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा प्राप्ति ।

मैं श्री/ श्रीमती/ मेसर्स ..... उम्र-.....वर्ष, जो .....

..... में अवस्थित सम्पत्ति के मालिक हैं अथवा सोसाईटी के संदर्भ में।

..... को-ऑपरेटिव सोसाईटी की व्यवस्थापन

समिति के हम/ श्री/ श्रीमती 1. .... 2. ....

3. .... 4. .... (इसके बाद मालिक कहा जायेगा)

या न्यास होने की स्थिति में

2. मैं श्री/ श्रीमती ..... का मालिक/ पार्टनर/ फर्म का डायरेक्टर जिसका रजिस्टर्ड

कार्यालय ..... में अवस्थित है

और मेरा आवास ..... में है।

(यहाँ इसको विज्ञापनकर्ता कहा जायेगा)

जहाँ कि विज्ञापनकर्ता ने पटना नगर निगम के नाम विज्ञापन दिखाने की अनुमति के लिए बी.एम.ए. एक्ट, 2007 की धारा-146 के अंतर्गत आवेदन कर दिया है और जहाँ कि सम्पत्ति मालिक ने .....

में अवस्थित जगह पर होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति दे दिया है और जहाँ, विज्ञापनकर्ता ने विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है .....

और हम, मालिक एवं विज्ञापनकर्ता, इस संदर्भ में निर्दिष्ट शर्त एवं नीति के तहत संयुक्त वचनबंध समर्पित करते हैं।

**मालिक एवं विज्ञापनकर्ता एतद् द्वारा वचन देते हैं :-**

- (i) मालिक (स्वामी) एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि जिस भूमि पर विज्ञापन का प्रदर्शन किया जायेगा वह पट्टा पर प्राप्त नगर निगम की भूमि है, जिसकी सी0टी0एस0 संख्या-..... है, जो ..... अवस्थित है।

भू-स्वामी और विज्ञापनकर्ता एतद् द्वारा पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि मालिक के द्वारा प्रत्येक विज्ञापनकर्ता को होर्डिंग खड़ा करने और विज्ञापन दिखाने के लिए अनुमति दी जाने के लिए जो राशि पूरे साल के

- लिए विचार की गयी है वह राशि .....(अंकों में) .....
- (शब्दों में) है। यह एक वास्तविक राशि है, जो विज्ञापनकर्ता के द्वारा सोसाईटी को दिया गया है, इसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन में, जिसमें विज्ञापन के लिए अनुमति मांगा गया है, किया गया है। भू-मालिक एवं विज्ञापनकर्ता संयुक्त रूप से एवं अलग रूप से पुनः सहमत हैं और भूतल भाड़ा के 50 प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त रकम वास्तविक क्षतिपूर्ति, जिसका वर्णन उपर कर दिया गया है और जिसकी गणना जमीन की वर्तमान बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत बराबर (होर्डिंग के भूतल क्षेत्रफल के बराबर) के आधार पर की गयी है अथवा उसी रोड या कोरिडोर पर पटना नगर निगम द्वारा आम निलामी से जो वास्तविक रकम प्राप्त की गयी है उस होर्डिंग के समानुपात में जो जितनी राशि गणना में आती है उसका 50 प्रतिशत अथवा इन तीनों में जो सबसे अधिक होता है, उतना भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
- (ii) भू-मालिक/ सोसाईटी एतद् द्वारा पुनः पुष्टि करता है कि आम सभा बैठक में निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके द्वारा विज्ञापनकर्ता को भवन परिसर में होर्डिंग खड़ा करने तथा विज्ञापन दिखाने की अनुमति दे दी गयी है। दिनांक- ..... को हुई उक्त बैठक की निर्णय की प्रतिलिपि सोसाईटी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दी गयी है।
- (iii) यह वचनबंध हम सभी व्यक्तियों, हमारे उत्तराधिकारी, कार्यान्वयक, प्रशासक, उत्तराधिकारियों इत्यादि पर बाध्यकारी है।

दिन- ..... वर्ष- ..... दिनांक-.....

आपका विश्वासी

( )

गवाह :

( )

(1) .....

(2) .....

## अनुलग्नक-1

## होर्डिंग विशिष्टीकरण

1. **परिचय**।-इस अनुलग्नक में पटना नगर निगम क्षेत्राधिकार के अंदर होर्डिंग खड़ा करने/लगाने संबंधी खास बिन्दुयें तथा विवरण का उल्लेख है।

## 2. सामान्य :-

- 2.1 होर्डिंग का समुचित रख रखाव समय-समय पर इसे पेन्ट करके किया जाना चाहिए, ताकि इसमें किसी तरह का क्षय न हो। नियमित समय अंतराल पर इसके सभी संधि स्थलों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- 2.2 पटना नगर निगम द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा संख्या तथा विज्ञापन करने वाली कम्पनी का नाम अनिवार्य रूप से न्यू रोमन फोन्ट के बोल्ड अक्षरों में दिया जाना चाहिए। इन अक्षरों की ऊँचाई 6 इंच होनी चाहिए तथा श्याम पृष्ठ भूमि (काला) में इसे उजले रंग में होना चाहिए।
- 2.3 होर्डिंग को चढ़ाने का काम मशीन/चढ़ाने संबंधी युक्तियों के द्वारा होनी चाहिए, जहां इसकी आवश्यकता है तथा सभी तरह के सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो।
- 2.4 एजेन्सी सभी आवश्यक सावधानी बर्तेगी जिससे गाड़ियों के आवागमन तथा पैदल यातायात में होर्डिंग खड़ा करने/लगाने के कारण किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

## 3. अवस्थिति ( Location ) :-

- 3.1 कोई भी लोकेशन किसी भी संधि स्थल (Junction) तथा गोल क्षेत्र से 25 मीटर के अंदर नहीं होगा।
- 3.2 जहां कहीं भी फुटपाथ पर या उसके नजदीक होर्डिंग खड़ा किया/लगाया जाय तो होर्डिंग तथा सड़क की मध्य रेखा के बीच 30° तक का कोण होना चाहिए।

## 4. होर्डिंग बोर्ड का आकार एवं इसकी ऊँचाई की सीमा :-

- 4.1 एकल स्तम्भ, द्विस्तम्भ तथा भवन के छत पर अवस्थित होर्डिंग बोर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग की ऊँचाई सम्बद्ध सड़क की मध्य रेखा से 75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## 5. शोरगुल एवं प्रदूषण नियंत्रण :-

- 5.1 एजेन्सी सारी सावधानियाँ बर्तेगी ताकि इसके आसपास की सम्पत्तियों के मालिक, किरायेदार तथा उस इलाके में रहने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो तथा इन सम्पत्तियों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे तथा पानी के श्रोत आदि किसी तरह से दूषित न हों।
- 5.2 कार्य करने के दौरान अगर सड़क, पथ, सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति आदि को किसी तरह की क्षति हो जाती है तो सम्बद्ध एजेन्सी को अपने लागत पर एम0सी0जी0एम0 की संतुष्टि अनुसार मरम्मत करना होगा।
- 5.3 किसी भी होर्डिंग से किसी नजदीक के मकान अथवा जिस मकान पर इसे लगाया/खड़ा किया जाता है की किसी भी दरवाजा या खिड़की को कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए।
- 5.4 सभी खराब चीजों और बेकार की चीजों को एजेन्सी के द्वारा साफ करवा दिया जायेगा।

## 6. संरचनात्मक ( निर्माण ) विशिष्टीकरण ( विवरण ) :-

- 6.1.1 सभी 'स्ट्रक्चर्ड स्टील रोड सेक्शन' तथा प्लेट बी0आई0एस0 2261975 और बी0आई0एस0 70621980 के अनुरूप होंगे।
- 6.1.2 निर्माण अभिकल्प (Structural Design) बी0आई0एस0 800-1984 के अनुरूप होगा।
- 6.1.3 संरचना का डिजाईन इस प्रकार हो कि वह बी0आई0एस0 875 भाग दो अंतर्गत 33 m/Sec. हवा भार (Wind Load) ले सके।
- 6.1.4 आर0सी0सी0 फाउण्डेशन भूमि के अनुरूप तथा निर्माण की गहराई कम से कम 1500 मिमी होना चाहिए और यह बी0आई0एस0 456 के अनुरूप हो।
- 6.1.5 निर्माण गणना के साथ-साथ कार्य अभिकल्प, जो एम0सी0जी0एम0 से पंजीकृत तथा कार्यरत निर्माण अभियंता द्वारा तैयार किया गया हो, समर्पित करना होगा।

## 6.2 जमीन पर होर्डिंग :-

### 6.2.1 एकल स्तम्भ

#### नींव (फाउण्डेशन)

एकल स्तम्भ/खम्भा का निर्माण आर0सी0 फुटिंग तथा पैडेस्टल पर होना चाहिए।

#### स्टेनचन

450 मिमी. परिधि वाले तथा 2 मिमी. मोटे एम0एस0 चदरा का एकल गोलाकार स्टेनचन।

#### बोर्ड (पट्ट)

बोर्ड का निर्माण एम.एस. बॉक्स एस.एच.आर. सेक्शन से होना चाहिए।

#### शीटिंग

शीट 18 SWG मोटाई का GI Sheet होना चाहिए जो एम0 एस0 कोण के द्वारा पोषित हो। संरचनात्मक प्लेट संख्या-6 के विवरण को देखें।

### 6.2.2 द्वि-स्तम्भ

#### नींव (फाउण्डेशन)

द्वि-स्तम्भ/खम्भा का निर्माण आर0सी0 फुटिंग तथा पैडेस्टल पर होना चाहिए।

#### स्टेनचन

इसका स्टेनचन I.S.M.B. 250 @ 75 Kg/m का बनेगा।

#### बोर्ड (पट्ट)

बोर्ड का निर्माण एम.एस. बॉक्स एस.एच.आर. सेक्शन से होना चाहिए।

#### शीटिंग

शीट 18 SWG मोटाई का GI Sheet होना चाहिए जो एम0 एस0 कोण के द्वारा पोषित हो। संरचनात्मक प्लेट संख्या-7 के विवरण को देखें।

**6.3 छत के ऊपर होर्डिंग :** छत के ऊपर होर्डिंग केवल आर.सी. फ्रेम वाले संरचना पर ही खड़ा किया जाना चाहिए।

फाउण्डेशन एवं भवन का स्थायित्व प्रमाण-पत्र कार्यरत निर्माण अभियंता, जो पटना नगर निगम में पंजीकृत हो, के द्वारा निर्गत होना चाहिए।

होर्डिंग का निचला तल केवल आर0सी0सी0 कॉलम द्वारा उपयुक्त आर0सी0 बीम रचना का बना हो।

बोर्ड का निर्माण एम.एस. बॉक्स एस.एच.आर. सेक्शन से होना चाहिए।

शीट 18 SWG मोटाई का GI Sheet होना चाहिए जो एम0 एस0 कोण के द्वारा पोषित हो।

#### 7. विद्युतीकरण :

- 7.1 जब कभी भी प्रदीपन करना हो, तो इसके लिए आवश्यक अनुमोदन संबंधित पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से ले लेना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाये जाने चाहिए ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
- 7.2 प्रकाशयुक्त व्यवस्था करने से होर्डिंग के नजदीक या नीचे, फुटब्रीज/ओवरब्रीज, जैसा लागू हो, यातायात हो तो किसी भी सूरत में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में होर्डिंग को प्रकाशमय करने के लिए स्वीच को रात्रि की उपयुक्त समय में हाथ से ऑन या ऑफ किया जायेगा तथा जिसका निश्चय पटना नगर निगम द्वारा किया जायेगा।
- 7.3 बिजली के सभी सामान बी0आई0एस0 के अनुरूप होने चाहिए।
- 7.4 भूमि के नीचे का तार 16 Sq. mm. 2 core होनी चाहिए।
- 7.5 मीटर बॉक्स, ELCB, MCB, Fuse Cutout, Timer Contractor तथा Locking Arrangement BESCO के अनुरूप होनी चाहिए।
- 7.6 प्रकाशयुक्त बनाने के लिए दो 400 वॉट का Metal halide light fixtures होने चाहिए।
- 7.7 धरती के 1.8 मीटर नीचे जी0आई0 पाईप के द्वारा Funnel, Charcoal Salt, Brick Masonry work का उपयोग करते हुए BESCO के अनुसार Earthing करनी चाहिए।

## अनुसूची - II

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 146 के तहत विज्ञापन के लिए जारी किये गये अनुज्ञप्ति के लिए शुल्क सूची (व्यवसायिक परिसर को छोड़कर) :-  
(पटना नगर निगम बोर्ड की प्रस्ताव सं० ..... दिनांक .....)

| क्र०  | विवरण   | अनुज्ञप्ति शुल्क का मानक                   | शुल्क का दर (प्रतिवर्ष रु० में)   |                            |                      | शुल्क का दर (प्रतिवर्ष रु० में)      |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |   |  | क्षेत्र -1<br>(प्रधान मुख्य सड़क) | क्षेत्र -2<br>(मुख्य सड़क) | क्षेत्र -3<br>(अन्य) |                                      |
| 1   | अ) होर्डिंग बोर्ड पर प्रकाशयुक्त विज्ञापन / आकाशीय गुब्बारा पर विज्ञापन एवं वाहन पर प्रकाशयुक्त होर्डिंग बोर्ड।           | प्रति वर्ग फीट / वर्ष                      | 120                               | 60                         | 30                   | —                                    |
|   | ब) कम्प्यूटरीकृत रंग/बहुरंगीय ग्राफिक त्रिपहिया चलन्त इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम के माध्यम से प्रकाशयुक्त विज्ञापन      | प्रति वर्ग फीट / वर्ष                      | 180                               | 90                         | 40                   | —                                    |
|   | स) सचित्र विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए   | अनुमान्य प्रकाशयुक्त विज्ञापन शुल्क का 1/6 |                                   |                            |                      |                                      |
|   | द) होर्डिंग बोर्ड पर गैर - प्रकाशयुक्त विज्ञापन / आकाशीय गुब्बारा पर विज्ञापन एवं वाहन पर गैर-प्रकाशयुक्त होर्डिंग बोर्ड। | प्रति वर्ग फीट / वर्ष                      | 50                                | 25                         | 10                   | —                                    |
|   | य.) सड़क एवं पगडंडी पर स्थाई या झुलता विज्ञापन (जैसे की कपड़े का बैनर आदि) (गैर-प्रकाशयुक्त) (प्रति माह)                  | प्रति वर्ग फीट / वर्ष                      | 40                                | 20                         | 10                   | —                                    |
| 2   | ऑटो रिकशा और टैक्सियां पर विज्ञापन  | ऑटो रिकशा / टैक्सियों या बसों (चलन्त वाहन) |                                   |                            |                      |                                      |
|   | i) प्रकाशयुक्त विज्ञापन बोर्ड के लिए  | —  | —                                 | —                          | —                    | 120                                  |
|   | ii). गैर प्रकाशयुक्त विज्ञापन बोर्ड के लिए  | —  | —                                 | —                          | —                    | 60                                   |
| 3.  | व्यवसायिक उद्देश्य के लिए निर्गत किये गये अस्थायी विज्ञापन अनुज्ञप्ति   | —  | —                                 | —                          | —                    | सामान्यतः मासिक शुल्क का 150 प्रतिशत |
| निगम की परिसम्पत्तियों पर होर्डिंग के लिए भू-किराया |   |  |                                   |                            |                      |                                      |
| 4   | निगम पगडंडी पर होर्डिंग के लिए भू-किराया (केवल प्रदृश्य)  | —  | —                                 | —                          | —                    | —                                    |
| अ)  | 1) निगम के पगडंडी पर 3 फीट तक का प्रदृश्य विज्ञापन बोर्ड (लगातार फीट में)   | —  | —                                 | —                          | —                    | 5000                                 |
|   | 2) 3 फीट से ज्यादा एवं 5 फीट तक   | —  | —                                 | —                          | —                    | 8000                                 |



| क्र० | विवरण   | अनुज्ञप्ति शुल्क का मानक                          | शुल्क का दर (प्रतिवर्ष रू० में)   |                            |                      | शुल्क का दर (प्रतिवर्ष रू० में) |
|------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
|      |   |   | क्षेत्र -1<br>(प्रधान मुख्य सड़क) | क्षेत्र -2<br>(मुख्य सड़क) | क्षेत्र -3<br>(अन्य) |                                 |
|      | 3) 5 फीट से ज्यादा एवं 7.5 फीट तक   | -   | -                                 | -                          | -                    | 12000                           |
| ब)   | 1) निगम पगडंडी के समान्तर /1 फीट चौड़ा एवं 20 फीट लम्बा परिदृश्य के लिए।                              | -   | -                                 | -                          | -                    | 6000                            |
|      | 2) 1 फीट चौड़ा एवं 20 फीट से ज्यादा 40 फीट तक लम्बाई के लिए।  | -   | -                                 | -                          | -                    | 12000                           |
|      | 3) 1 फीट से 2.5 फीट चौड़ा एवं 20 फीट लम्बाई तक के लिए   | -   | -                                 | -                          | -                    | 10000                           |
|      | 4) 1 फीट से 2.5 फीट चौड़ा तथा 20 फीट से ज्यादा एवं 40 फीट तक के लिए।                                  | -   | -                                 | -                          | -                    | 20000                           |
| 5    | कियोस्क , बस क्यू, बसेरा आदि को छोड़ कर बैनर के लिए विज्ञापन शुल्क के अलावे जगह किराया/ भू - किराया । | प्रति प्रत्येक लगातार मीटर या उसके अंश भाग के लिए | -                                 | -                          | -                    | 80                              |
| 6    | एकीकृत विज्ञापन बोर्ड   |   |                                   |                            |                      |                                 |
|      | अ) मानक आकार 1200 वर्ग फीट तक के अनुमोदित एकीकृत विज्ञापन बोर्ड।                                      | -   | -                                 | -                          | -                    | 3000                            |
|      | ब) अनुमोदित मानक आकार 1200 वर्ग फीट से 1600 वर्ग फीट तक   | -   | -                                 | -                          | -                    | 15000                           |
|      | स) 1600 वर्ग फीट से ज्यादा प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्ग फीट या उसके अंश भाग                             | -   | -                                 | -                          | -                    | 3000                            |
| 7    | 3 (तीन) माह तक के विस्तारित अवधि के लिए सेवा अधिभार   | -   | -                                 | -                          | -                    | 1000                            |
| 8    | विज्ञापन अनुज्ञप्ति का हस्तान्तरण   |   |                                   |                            |                      |                                 |
|      | 1) विधिक उत्तराधिकारी को हस्तान्तरण   | -   | -                                 | -                          | -                    |                                 |
|      | अ) विधिक उत्तराधिकारी को हस्तान्तरण   | -   | -                                 | -                          | -                    | 5000                            |
|      | विधिक उत्तराधिकारी को छोड़कर , भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरान्त अन्य को हस्तान्तरण।       | -   | -                                 | -                          | -                    | 25000                           |

| क्र० | विवरण   | अनुज्ञप्ति शुल्क का मानक  | शुल्क का दर (प्रतिवर्ष रू० में)   |                            |                      | शुल्क का दर (प्रतिवर्ष रू० में) |
|------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
|      |   |   | क्षेत्र -1<br>(प्रधान मुख्य सड़क) | क्षेत्र -2<br>(मुख्य सड़क) | क्षेत्र -3<br>(अन्य) |                                 |
| 9    | गैर मानक विज्ञापन बोर्ड के मानक आकार विज्ञापन बोर्ड में रूपान्तरण | जमीन और छत पर विषम आकार के होर्डिंग के अनुज्ञप्ति धारी को लगे हुए होर्डिंग के नजदिकी मानक आकार के अनुरूप विज्ञापन शुल्क देय है। उदाहरण के लिए 16'x 8' या 12'x10' के होर्डिंग आकार के लिए 10'x20' होर्डिंग आकार के होर्डिंग का शुल्क देय होगा। | -                                 | -                          | -                    | -                               |
| 10   | प्रसंस्करण आवेदन शुल्क  | -   | -                                 | -                          | -                    | 500                             |

## वर्ग 'ख' -व्यवसायिक परिसर पर विज्ञापन

|    |   |                       |                |  |  |        |
|----|---|-----------------------|----------------|--|--|--------|
| 1. | गैर -प्रकाशयुक्त विज्ञापन, जो आकाशीय संकेत बनाते हैं                                  | i) जगह प्रति वर्ग फीट | 240 प्रति वर्ष |  |  |        |
| 2  | प्रकाशयुक्त नाम पट्टिका, आकाशीय संकेत, गलो संकेत, एवं नियोन संकेत, शोकेश, शोरूम आदि । | i) जगह प्रति वर्ग फीट | 720 प्रति वर्ष |  |  |        |
| 3  | अनुमति का हस्तांतरण   |                       |                |  |  |        |
|    | अ) विधिक उत्तराधिकारी   |                       |                |  |  | 100/-  |
|    | ब) विधिक उत्तराधिकारी को छोड़ कर अन्य   |                       |                |  |  | 1000/- |

आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सचिव।

The 4th July 2012

**Patna Municipal Corporation (Grant of Permission for Display of Advertisements & Similar Devices) Regulations, 2012**

No. 2367/U.D.&H.D—*In exercise of powers conferred under Section 421 of the Bihar Municipal Act, 2007, the Patna Municipal Corporation hereby make the Regulations in relation to the matters of grant of permission for display of advertisements and similar devices in any place within the jurisdiction of the Patna Municipal Corporation.*

Part-I

1. *Short title and commencement*—(1) These regulations may be called “The Patna Municipal Corporation (Grant of Permission for Display of Advertisements & Similar Devices) Regulations, 2011”.

(2) It shall come into force upon approval by the State Government and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall be applicable in relation to all the matters pertaining to grant of permission for display of advertisements and similar devices in any place, locality or location falling within the jurisdiction of the Patna Municipal Corporation.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context otherwise requires: -

- (i) **“Advertisement”** means and includes any device or representation in any manner such as announcement or direction by word, letter, model, sign by means of posters, hoarding boards, banners, temporary arches, illuminated signs, name boards, direction boards, balloons etc.
- (ii) **“Agency”** means an applicant who may be an individual, registered charitable organization, firm, partnership or a company incorporated under the Companies Act, 1956.
- (iii) **“Banner”** means cloth or any other material, which contains some advertisement or announcement or written matter for display in public place.
- (iv) **“Building Wrap Advertisement”** means an advertisement displayed on any building frontage usually stretched across the building frontage or on the scaffolding of a building under construction or repair or by sticking or fixing it to a glass frontage or window.
- (v) **“Building Wrap Electronic Advertisements without Any Use of Poles etc. Which Are Used To Erect Hoardings”** means an advertisement displayed on any building frontage, which is not a heritage structure, using digital displays, which can be switched on at night time and may flash or appear in a synchronized manner in one or more different colours.
- (vi) **“Bus Shelter Advertisement”** means an advertisement displayed on the structure of a bus shelter including translates, or such other display.
- (vii) **“Commissioner”** means Municipal Commissioner of the Patna Municipal Corporation and includes Additional Municipal Commissioner.
- (viii) **“Competent Authority”** means Commissioner or any other officer of the Corporation not below the rank of Additional Commissioner duly authorized by him.
- (ix) **“Corporation”** means the Patna Municipal Corporation.

- (x) **“Direction Boards”** means boards put up by private and commercial establishments to indicate direction to their offices or commercial outlets, etc.
- (xi) **“Electronic Display”** means electronically operated advertisement display fixed on a structure. The display is obtained by the operation of an electronic or electrical device such as neon lights, LED or LCD Display etc.
- (xii) **“Gantry Advertisement”** means advertisement affixed on a gantry erected across a road and usually fabricated of metal section pillars fixed on either side of a road with a beam shape section connecting the top of the pillars across the road with the advertisement on the face opposite to the direction of traffic.
- (xiii) **“Glow Sign Box Advertisement”** means an advertisement displayed on a transparent or translucent sheet of any plastic material mounted on a metal sheet box, illuminated from behind using electrical lamps.
- (xiv) **“Hoarding”** means any surface of structure erected on ground or any portion of a roof of a building or on or above the parapet, with character, letter or illustrations applied thereto and displayed in any manner whatsoever, out of doors, for purpose of advertising or to give information with a view to attract the public to any place, persons, public performance articles of merchandise whatsoever and also includes advertisement by using neon bulbs/lamps/lights, which flash and appear in a synchronized manner in one or more different colours.
- (xv) **“Mobile Advertisement Display”** means a double or single sided hoarding or panel mounted on or behind a vehicle in a manner that it can be driven around or parked at strategic locations for a better display of the advertisement.
- (xvi) **“Poster”** means sheet of paper or any other material used to advertise something for display in a public place.
- (xvii) **“Prescribed Application Form”** means a format prescribed by the Commissioner at Appendix-A on which an application for permission to erect and display an advertisement or renew the existing permission for any outdoor media is to be made to the Corporation.
- (xviii) **“Scroller Display Advertisement”** means a box type display with rollers for scrolling a display of looped printed sheet displaying an advertisement. This may be either illuminated or non-illuminated or backlit.
- (xix) **“Sky-sign”** means any word, letter, model, sign, device or representation in the nature of advertisement, announcements or directions, supported on or attached to any post, pole, standard framework or other support wholly or in part upon or over any land, building or structure which, or any part of which sky sign, shall be visible against the sky from some point in any street and includes all and every part of any such post, pole, standard framework or other support. The expression “sky-sign” shall also include any balloon, parachute, or other similar device employed wholly or in part for the purposes of any advertisement, announcement

or directions upon or over any land, building or structure or upon or over any street but shall not include –

- (i) any flagstaff, pole, vane or weathercock, unless adopted or used only on in part for the purpose of any advertisement, announcement or direction.
- (ii) any sign, or any board, frame or other contrivance securely fixed to or on the top of the wall or parapet of any building or on the cornice or blocking course of any wall, or to the ridge of a roof.

Provided that such board, frame or other contrivance be of one continuous face and not open work, and do not extend in height more than three feet above any part of the wall, or parapet or ridge to, against, or on which it is fixed or supported.

- (iii) any word, letter, model, sign, device or representation as aforesaid, relating exclusively to the business of a railway company, and place wholly upon or over a railway, railway station, yard, platform or station, approach belonging to a railway company, and so placed that it cannot fall into any street or public place.
- (iv) any notice of land or building to be sold, or let, placed upon such land or buildings.
- (xx) **“Temporary Arches”** mean temporary structures erected across the road for greeting of personalities or for display of advertisement.
- (xxi) **“Temporary (Bulk) Advertisement”** means and refers to advertising, within a limited area or road at times of a festival or celebration for a limited period. This permission will be with respect to temporary hoardings, arches, banners or pole-flags. Bulk commercial hoardings shall include those displayed on a mobile media such as a service van and/or delivery vehicle.
- (xxii) **“Tri-Vision Advertisement (or Tri-Ad)”** means an advertisement hoarding that uses rotating triangular panels in a synchronized manner such that the three faces of the triangular section are seen one after the other displaying three different advertising messages. These could be illuminated or non-illuminated.
- (xxiii) **“Wall Painting Advertisement”** means an advertisement displayed by painting it directly on the wall or structure of a building or any civil structure.

#### **Part-II**

#### **GENERAL NORMS FOR ADVERTISEMENT PERMISSION**

3. No agency, without the permission in writing from the competent authority shall display any advertisement by means of hoarding, neon signs, wall paintings, balloons or display advertisements on business premises such as shops, show rooms, offices, petrol pumps, cinema theatres, malls etc. The norms guiding the grant of permission will be as detailed in this section. An agency displaying sky sign or advertisement unauthorisedly without seeking permission of the competent authority and in contravention of these regulations will be committing offence punishable under Section 429 and 431 of the Bihar Municipal Act, 2007. However, permission will not be required for certain types of the advertisements, which have also been detailed in these regulations.

4. For display of hoardings etc., the area falling within the limits of PMC will be divided as per the classification of roads under Section 127 of the Bihar Municipal Act, 2007 and Rules framed by the PMC in this regard and will be as indicated hereunder:

| Zones  | Roads   |
|--------|---|
| Zone-1 | : Hoardings on Principal Main Road                                |
| Zone 2 | : Hoardings on Main Road  |
| Zone 3 | : Hoardings on Roads other than Principal Main Road and Main Road |

(a) SIZE OF HOARDINGS

The standard sizes of the hoarding boards shall be as follows: -

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Zone 1 : | 10' x 20', 20' x 20'              |
| Zone 2 : | 10'x20', 20'x20', 30'x20'         |
| Zone 3 : | 10'x20, 20'x20', 30'x20', 40'x20' |

(On terraces in all wards, it can be 60'x20' also. On wider roads, i.e. more than 90 feet excluding footpath, hoardings of bigger size i.e. 40'x40' may also be permitted, which will depend upon the volume of space available at the spot.)

- (b) Size of hoardings shall be kept uniform on one single road, which will be decided by the Competent Authority, keeping in mind the proportionate general average width of the abutting road. The advertisement hoardings shall be framed from all sides in conformity with the prescribed size.
- (c) Sandwich (back to back) hoardings having standard size can be permitted.
- (d) The structural framework supporting advertisement board shall not be outsized compared to the permitted board size and shall not exceed 15 (fifteen) centimeters on either side laterally. No vertical tolerance is permitted except the columns up to the ground clearance. Any incremental deviation shall be deemed to be an increase in the size of the advertisement board against norms and in breach of terms and conditions of the permit.
- (e) Existing hoardings of non-standardized sizes permitted prior to these regulations shall be allowed to continue till 30.06.2012. However, the permission for the said hoardings shall be renewed only in terms of the standard sizes, subject to other provisions in these Regulations.
- (f) i) Backlit boards (back to back) of size of 1.2 mtrs. X 1.8 mtrs. At a height of 7' from footpath level on single mast can be permitted on PMC footpath on selected roads at a minimum interval of 10 mtrs. irrespective of any zone by inviting tenders, whenever required by the PMC.  
ii) Trivision (or 'Tri-Ad' or '3 sided') backlit boards having size 1.4 mtrs. x 3 mtrs. at a maximum height 10' from footpath level, on single mast can be permitted on PMC footpath on selected roads at a minimum interval of 15 mtrs. irrespective of any zone by inviting tenders whenever required by PMC. However, no backlit or Trivision advertisement is permissible on footpath having width less than 10'.
- (g) On bus shelters, backlit advertisement boards of size 1.2 mtrs. x 1.8 mtrs. on the top or at the rear side of the bus shelters can be permitted. However,

the advertiser will have to pay additional charges/premium as decided by the Municipal Commissioner.

- (h) Construction fence will henceforth be allowed as non-lit special advertising structure, temporary in nature, which will be non-standard advertising field, subject to height restriction of 10' above the ground.
- (i) In order to bring standardization in sizes of advertisements, it will be incumbent upon all advertisers displaying on electric poles, etc., to maintain standard size 2'.5"x3'2.5" all over the city.

5. *Structural Design/ Erection of the Hoarding.*—The design/erection of the hoarding shall be aesthetically designed and strictly as per the structural plan approved by a Government or Corporation Licensed Structural Engineer / Architect. The size of the hoarding permitted will include appropriate frame on all sides to make the hoarding look aesthetically beautiful. The structural framework will preferably be supported by unipole or at the maximum two poles, but in no case more than two poles. All poles and back of hoardings will be aesthetically covered. Structures of all hoardings along with their support and the rear side of the hoarding will be painted in the dark green enamel paint at least twice in a year.

Renewal of the permit for the hoarding duly painted as per this clause is subject to the submission of structural stability certificate, every two years, in respect of the hoarding structure from the Licensed Structural Engineer.

Applications for hoardings etc. must contain a computer generated design image including external lighting fixtures. If later on any deviation is found, the permission given will be withdrawn.

#### 6. **Structural Stability of the Building -**

- (a) Advertisement hoardings shall be allowed to be erected on a building only if it has been examined from the angle of the structural stability and a certificate of such structural stability from Government or Municipal Licensed Structural Engineer is produced.  
Agency erecting the hoarding will have to submit necessary insurance against liabilities arising from unforeseen mishaps.
- (b) The renewal of the permit for existing hoarding is subject to submission of structural stability certificate of the hoarding structure and structural stability certificate of the building, every two years, from the Structural Engineer.

7. *Permissible Colours of Advertisements .*— The colours used on hoardings shall not have any resemblance with the colours of traffic signal such as, Red, Amber and Green symbols and boards and also no hoardings shall be placed so as to obstruct clear vision of any traffic signal.

#### 8. *Bottom Clearance of the Hoarding Board.*—

- (i) The lower bottom of the hoarding board shall not be at a height less than 3.05 meters (10 feet).
- (ii) No hoarding shall be projected on the footpath at any time.
- (iii) No hoarding shall be projected on a public road where there is no footpath.

#### 9. *Maximum Height of the Hoarding Board -*

- (i) When erected on the ground maximum height i.e. top of the hoarding board shall not be more than 75 ft. from the surface of the ground below it including the bottom clearance.
- (ii) When erected on terrace of a building, the maximum height of the hoarding board shall not be more than 12.2 meters (40') from the terrace level including the bottom clearance. It shall be further subject to height restrictions imposed by Airport Authority of India (IAAI) within its landing and take off operational area.
- (iii) No hoardings shall be permitted henceforth one above another.

10. *Minimum Distance Between Two Hoardings.*—

- (i) The minimum distance between two hoardings on poles on the same side of the road/alignment shall not be less than 20 meters. This distance will be measured from the perimeter of the hoarding.
- (ii) In case of sandwich hoarding (back to back), the minimum distance between two sandwich hoardings shall not be less than 20 mtrs.

11. *Alignment of Hoardings* -

- (i) Uniformity in size of the hoarding and alignment thereof in a particular locality, more particularly along the arterial roads and expressways shall be maintained.
- (ii) In case of hoardings on the bridges, the height of the support shall be so adjusted as to make one uniform line not higher than the embankment of the wall.
- (iii) Agency shall realign, readjust or shift the hoardings whenever called upon by the competent authority to do so at his own cost without claiming any compensation.
- (iv) As far as possible, the display of hoardings must be parallel to the road. In no case, the angle between the hoarding and road line should be more than 30 degrees.

12. *Clubbing of Hoardings* - Clubbing of the hoardings shall not be allowed.

13. *Projection of Hoardings* -

- (a) Hoarding structure on the terrace of built up structure / building shall not be allowed to project, in the interest of public safety, beyond the building line.
- (b) Hoardings on open ground shall not be permitted to project over the carriageway of the road line if there is no footpath.
- (c) Hoardings on open ground shall not be permitted to project over footpath.

14. The competent authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse permission for grant of advertisement permit.

15. Temporary permission for display of advertisements for commercial purposes, for periods not exceeding one month, can also be granted subject to conditions and payment of fees as laid down by the Commissioner. Permission for advertisements shall not ordinarily be refused if they are in conformity with the provisions under the Bihar Municipal Act, 2007 and these regulations, unless there is specific objections either from



the police department or if the same offends the light or ventilation, or creates nuisance or obstructions to the residents in the vicinity.

16. *Hoardings on the Premises of Public Authorities.*— Agencies desirous of erecting hoardings on the land or premises of public authorities, whether government, semi-government etc. have to obtain a valid permit under Sections 145 & 146 of the Bihar Municipal Act, 2007 after obtaining NOC from the concerned Public Authority before they can erect the hoarding or display advertisements.

The demand notices for advertisements fees should be sent to the concerned advertising agencies as per Regulations of the Corporation. The concerned authorities shall provide the names of the agencies locations, size, period and all other details of the hoardings on their premises.

17. *Hoardings on railway premises.*—Advertisements relating to the business of the railways displayed within the railway premises on stations or walls therein except those fronting any street are the only ones free from the purview of municipal permits.

In other words, advertisements set up in the railway premises or stations and falling in the following categories are liable to the regulatory provisions of the BMA, 2007:

- (i) Advertisements/Wall paintings set up by the railways on railway premises or stations, other than those relating to their business, visible from or fronting any street;
- (ii) Advertisements/wall paintings set up by private or non railways agencies on railway premises, station or land.

For permission of hoardings on railway premises, the agency must apply to the concerned authorities in Municipal Corporation in the prescribed manner, after obtaining NOC from the Railway authorities.

All the advertisement hoardings, permitted by Railway authorities in their premises must be as per these regulations for getting NOC/permission. The demand notices for advertisement fees will be sent to the concerned advertising agency as per schedule of the Corporation. The concerned authorities are required to provide the names of agencies, location, size, period allotted and all other details of the hoardings on their premises.

Responsibility of removal of hoardings as per specific direction of any Hon'ble Court or when hoarding is not permitted by the Commissioner shall however lie upon the railway authorities.

#### 18. *Restrictions -*

- (a) No illuminated hoarding shall be permitted within the cone of the driver without the NOC from the Traffic Police Department.
- (b) No hoarding shall be permitted at intersection within a distance of 25 meters from the stop-line of each approach road facing the hoarding erected on the ground level. No mobile hoardings will be permitted in carriageways of any road.
- (c) No hoarding shall be permitted in the compulsory open space required to be maintained under the existing Master Plan as per provisions of Patna Regional Development Authority (Preparation of Regional Plan, Master Plan and Zonal Development Plan, with the procedure for preparation, submission and approval etc.) Rules, 1978 including public recreation grounds, playgrounds, parks and gardens unless it belongs to

the agency which has been allotted the task for maintaining the same provided that it does not interfere with the usage by the general public.

- (d) No hoarding shall be permitted around Traffic Islands and signal junctions within a 25 meters distance from the road line.
- (e) No hoarding shall be permitted which will cover vision of the greenery, landscaping or large size trees in the adjoining areas. No hoarding shall be permitted near river banks, parking lots or on any land adjacent to the riverbank towards the road.
- (f) No hoarding shall be permitted which would obstruct the light or ventilation of any premises.
- (g) No hoarding shall be permitted on buildings of archaeological, architectural, aesthetical, historical or heritage importance.
- (h) In case of illuminated / neon-sign hoardings, following restrictions should be observed:
  - (i) The level of luminance should not exceed a source limit of 1 cd/cm square. Illumination shall not be continued after 11:00 pm.
  - (ii) The neon-signs in residential premises should not be flickering. No neon sign hoardings shall be permitted in Residential Zone / Localities.
  - (iii) Neon-signs should be put off before 10:00 pm.
  - (iv) No video or moving digital advertisements will be allowed. LED displays etc. should be still only. Changing of images after minimum 10 seconds will only be permissible.
- (j) So far as the issue of more than one hoarding on a single plot is concerned, not more than one hoarding per 400 sq. mtrs. of plot area will be permitted on private properties or lay outs. For having another hoarding, the plot owner must have at least another 400 sq. mtrs. of area.
- (k) No hoardings shall be permitted on the walls other than dead walls of any building except wrap up neon / digital advertisements, subject to other provisions of these regulations.
- (l) Not more than one hoarding per 400 sq. mtrs. of terrace area shall be permitted on any building terrace. However, the consent of the flat occupier(s) of the top most floor will be a must, in addition to resolution of the housing society.
- (m) No diesel generators will be allowed to illuminate hoardings as these create noise and air pollution.

**19. Hoardings On Corporation Properties:**

- (a) No hoardings shall be allowed on Corporation properties except by inviting tenders. All existing hoardings will be removed at the expiry of agreement or 31.08.2008, whichever is earlier.
- (b) Projection of advertisement boards or hoardings over footpath or road shall not be permitted in order to keep aesthetic view in tact and to ensure that pedestrian traffic and public safety is not endangered.

20. *Norms For Display Of Advertisements By Floating Balloons.*— Permission for illuminated or non-illuminated advertisements by means of floating balloons can be granted subject to the compliance of conditions mentioned below: -

- (a) The agency shall display the balloon in such a manner that it does not interfere with or obstruct other displays of advertisements.
- (b) The agency shall make all necessary arrangements to avoid any hazard or emergency during the display of the said advertisement.
- (c) The agency shall produce NOC from the Civil Aviation Department of the Government of India and shall observe all their rules and regulations.
- (d) The agency shall be liable to pay damages for any accident or any injury which may be caused to any property of a person by the said balloon or the material, gas or any device used in respect thereof or by reason of the fall or otherwise of the said balloon or any part thereof due to storm, faulty construction, negligence, accident or any other cause whatsoever.

21. *Norms for Display of Advertisements by means of Wall Painting*—No permission for display of advertisement by means of wall painting shall be granted.

22. *Norms for Display of Advertisement on Business Premises.*—The advertisement, such as illuminated glow sign boxes and illuminated / neon sign name boards on the business premises, shall be permitted /regularized as per the provisions laid down in Section 146 of the Bihar Municipal Act, 2007. Permission for display of advertisement, such as glow sign boxes and illuminated / neon-sign name boards on the business premises can be granted subject to the compliance of the conditions as mentioned below:

- (a) No illuminated sign in red, amber or green colours shall be erected or maintained within a horizontal distance of 10 mtrs. of any illuminated traffic sign. All advertising signs illuminated by light other than a white light at a height of less than two storeys or 6 mt. above the footpath, whichever is higher, shall be so displayed that it does not interfere with any sign or signal of traffic control.
- (b) No person shall erect any sign which is of such intense illumination as to disturb the residents in adjacent or nearby residential buildings. Notwithstanding any permission for such erection, any such sign which after erection is, in the opinion of the authority, of such intense illumination as to disturb the occupants of adjacent or nearby buildings shall, on the order of the authority, be suitably altered or removed by the owner of the site concerned within such reasonable period as the authority may specify.
- (c) No electric sign other than those necessary in the opinion of the authority in the interest of public amenity, health and safety, shall be operated after 11:00 p.m.
- (d) No ground sign shall be erected so as to obstruct free access to or egress from any building.

- (e) No projecting sign or any part of its support or framework shall project beyond the building. However, it shall not project beyond the plot line facing the street.
- (f) On business premises, advertisements related to products sold or services rendered only can be permitted.

23. *Advertisements for which no Permission is Required*— The following types of advertisements, excluding illuminated advertisements and sky-signs, are not required to obtain permission from the Corporation: -

- (a) Advertisements displayed within window.
- (b) Advertisements relating to business of the railways and displayed within the railway premises but not fronting any street.
- (c) Advertisements displayed or upon business premises with name plate relating to trade or business carried on within the premises.
- (d) Advertisements displayed on or upon any premises relating to the sale or letting of the premises or of any effects therein.

24. *Permission for free Advertisements.*— Under the discretionary powers of the Commissioner, under Sections 145 & 146 of the Bihar Municipal Act, 2007, permission can be granted for free display of advertisements, if the advertisement relates to religious, educational or charitable purposes and provided the institution is duly registered for the said purposes with the I.G., Registration. In case of display of advertisements by any organization of either Central or State Government or of the PMC itself, the Commissioner can use his powers under Section 146 of the BMA, 2007.

### Part-III

#### PROCEDURE FOR APPLICATION

25. *Application for regular Advertisement permits:* -

- (a) The applicant agency has to apply for permission in the prescribed form (Appendix-A) to the Corporation.
- (b) Alongwith the application form duly filled in, the applicant has to deposit the prescribed processing fees in case of advertisements such as hoardings, balloons etc. No processing fees are required in case of application for display of advertisement on business premises.

26. *Documents to be submitted with Application for Advertisement through rough hoardings, balloons etc.*— In case of application for advertisement through hoardings, balloons etc. the following documents are required to be submitted alongwith the application: -

- (a) (i) “No Objection Certificate” (NOC) from the landlord of the land building over which advertisement is proposed to be displayed.
- (ii) If the land on which advertisement is to be displayed is given on lease by a public authority, viz. Corporation, Government etc., NOC from the lessor is also required.
- (iii) In case of hoarding on the terrace of a building, NOC from the occupier(s) of the topmost floor is/are a must.
- (b) If the NOC is from a co-operative housing society, copy of the resolution duly passed in the general body meeting, certified by the Auditor of the Society.

- (c) A joint Indemnity Bond-cum-Undertaking by the agency and the owner / co-operative housing society in the prescribed format at Appendix B and Appendix C in case of Municipal leasehold property.
- (d) In case of a leased out municipal land, a joint undertaking by the lessee and the agency in the prescribed format (Appendix C) to the effect that they will jointly and severally be liable to pay to the Estate Department of the Corporation, extra ground rent as laid down in this behalf.
- (e) Two copies of key plans of the location in the scale of 1":2500' and Block Plan in the scale of 1":250'.
- (f) Two copies of the design and colour scheme and sketch showing the exact location of the proposed site in question, including computer generated design image alongwith external lighting fixtures.
- (g) Two copies of 10"x8" size photographs taken from a distance of 60 meters from the proposed site with marking of the proposed hoarding thereon.
- (h) Two copies of the location plan indicating presence of any trees or any other hoarding within 50 meters of the location along the same alignment and dimensions thereof. The details of the owners, if known, may be given.
- (i) NOC from the Office of Superintendent of Police (Traffic), if the advertisement is to be illuminated.
- (j) NOC from the Civil Aviation Department of the Government of India, wherever necessary.
- (k) The structural design / plan alongwith structural design calculations approved by a licensed structural engineer.
- (l) The structural stability certificate from a Licensed Structural Engineer of the building on which the advertisement is to be erected and the structural stability certificate of the Hoarding Structure.
- (m) The agency applying for the permission shall submit the Registration Certificate under the Bihar Shops & Establishment Act.
- (n) The structural design / plan of the hoarding structure shall be as per the specifications for erection of hoarding enumerated at Annexure-I.

*27. Documents to be submitted with Application for Permission of Advertisement on Business Premises by way of Illuminated Glowsign, Neon-sign etc.*

- (a) Copy of the rent receipt of the business premises OR  
Any other document regarding legal and physical possession of the premises  
OR  
Copy of the registration certificate under the Bihar Shops & Establishment Act.
- (b) Sketch of the advertisement board with dimensions and details of the matter to be displayed.

*28. Application for free Advertisements:-*

- (a) The applications for free advertisement permissions should be made on the letterhead of the applicant to the Municipal Commissioner.
- (b) The applicant should deposit a sum of Rs. 100/- towards processing fees and Rs. 400/- security deposit in the office of the Corporation alongwith the application.
- (c) The security deposit shall be forfeited in the event of breach of any of the conditions on which the permission is granted or failure on part of the applicant to remove the banners on expiry of permission.
- (d) The applicant shall arrange to remove the advertisement immediately after the function or purpose is over, which should normally not exceed ten days. On receipt of such intimation, the concerned office will arrange to refund the deposit of Rs. 400/- unless forfeited for breach of any conditions.
- (e) Normally, only cloth banners having size not more than 10'x3' shall be allowed. No permission shall be allowed to display advertisements by means of wall posters.
- (f) Permission for free advertisement can be granted only by the Competent Authority.

**29. Application for Temporary Advertisement Permits :-**

- (a) The application for temporary advertisement permissions such as road show, building wraps, inflatable advertisements etc. including advertisements on municipal roads / footpaths by political parties, religious / education institutions and private parties shall be made in the prescribed form (Appendix A) to the Licence Section in the Corporation office.
- (b) Alongwith the application form duly filled in, the applicant has to deposit the prescribed processing fees of Rs. 1,000/-.
- (c) The applicant shall arrange to remove the advertisement immediately after the function or purpose is over, which should normally not exceed one month. On receipt of such intimation, the Corporation office will arrange to refund the deposit unless forfeited for breach of any condition.

**30. Fees for Advertisement permits for Hoardings: -**

- (a) The fees are payable, as per Schedule of fees, shown at Annexure II, which can be amended from time to time, on expiry of three months from the grant of permit or actual display of advertisement, whichever is earlier. If the hoarding is not erected within three months, permission granted shall stand revoked / cancelled. However, any agency including applicant herein may apply afresh by adopting the procedure laid down in this behalf.
- (b) The fees are to be paid for the whole year in advance within 10 days before expiry of the permission.
- (c) If the fees are not paid within the prescribed time, a composition amount equal to 25% of the permit for delay upto three months and equal to 50% for delay upto six months will be payable. For delay beyond six months, the permit shall stand automatically revoked.

- (d) It will be mandatory on the part of the agency to display a civic message or any other message as and when directed by the PMC for a period of fifteen days in a year for which no fees will be payable.
- (e) If a structure is found to be erected for the purpose of display of advertisement or a hoarding is erected or advertisement displayed without valid permit, in addition to the action that may be taken against such unauthorized erection of hoarding or against the unauthorized advertisement under sections 151, 152 and 431 of the Bihar Municipal Act, 2007, such hoarding shall be liable for removal action without a notice to the agency and the agency shall be liable to pay penalty of Rs. 50,000/-.
- (f) At the time of renewal of advertisement permit, the agency shall produce the permit for taking endorsement of the competent authority and shall pay the requisite fees in cash, pay order or demand draft. If payment is made by cheque, the permit will be renewed only after realization of the cheque. If the security deposit on account of preservation of trees or projection over Corporation footpath is forfeited in part or full, the shortfall caused by such forfeiture shall also be recouped before the permit is renewed if not decided for revocation.

*31. Fees & Deposits for other Advertisement Permits such as Advertisement on Business Premises :-*

- (a) On grant of permit, the agency shall be liable to pay the prescribed annual advertisement fees in advance within 10 days from the date of sanction of the permission. The agency has to deposit a sum equal to one month's advertisement fees for compliance of the terms and conditions of the permit, within ten days from the date of grant of permit. If the deposit is forfeited in part or in full for breach of any terms or conditions, the resultant shortfall in deposit shall be recouped within 15 days. Renewal of such permit shall be done in advance within 10 days before expiry of permit.
- (b) In case of temporary permits such as, wraps, balloons, inflatable advertisements, road shows, display of political parties, religious / educational institutions or commercial establishments, the agency should pay fees and deposits, as decided by the Commissioner, immediately upon the grant of the said permission.

*32. Duties and Responsibilities of Permit Holder Agency:-*

- (a) The permit holder shall ensure that the structure and the advertisement boards are aesthetically designed, are framed and properly maintained at all times. Further, the hoarding structure and back side of hoarding shall be painted with dark green enamel paint.
- (b) The permit holder must ensure that advertisements of obscene nature or any other offensive message are not allowed to be displayed.
- (c) The agency displaying advertisement through hoardings shall display or affix his name plate of appropriate size and permit number allotted to the hoarding at the corner of the hoarding to facilitate the identification of the

agency. It shall display the month and year of the expiry of the permit in numerical symbols, viz. 9/2002 for Sept. 2002 etc.

- (d) It shall be the sole responsibility of the agency to whom such permission is granted under Sections 145 & 146 of the Bihar Municipal Act, 2007 to maintain, preserve and protect the existing trees upto a distance of 25 meters on Corporation footpath on either side from advertisement board.
- (e) The permit holder is prohibited to display any advertisement of liquor or tobacco and tobacco related products.

33. *Transfer of advertisement Permit.*— The hoarding permit can be transferred with the prior permission of the Competent Authority and on payment of transfer fees as prescribed by the Commissioner from time to time, subject to the following: -

- (a) Consent in writing from the agency i.e. the holder of the permission / permit and the landowning authority / co-operative society.
- (b) In case of legal transfer, death certificate of the original owner and proof of legal succession or legal heir and NOC from other legal heirs.
- (c) Affidavit indemnifying the Municipal Commissioner from all other claimants.
- (d) In case of transfer through sale, the sale document and indemnity bond from purchaser indemnifying Corporation from all claims.

#### **PART - IV**

#### **PROCEDURE FOR DISPOSAL OF APPLICATIONS**

34. *Scrutiny:-*

- (a) At the time of submission of the application, a pre-scrutiny of the filled-in form and the accompanying documents would be made by the designated person who is accepting the application. If the application is found complete in all respects, then only the same shall be accepted alongwith the processing fees. Hence, applicants are advised to submit complete applications in all respects.
- (b) The detailed scrutiny alongwith the site visit should be completed within 15 days by the designated officer who shall forward the report in relation to the same within the said period with his specific recommendations, which shall be examined by the Additional Commissioner, Revenue and shall be forwarded to the Commissioner alongwith his recommendation within 7 days of receipt of the same.
- (c) In case of rejection of application, the applicant may prefer an appeal before the Board of the Municipal Corporation as per provisions laid down in Part-V of these Regulations.

35. *Disposal of Applications*— The Competent Authority should dispose of all applications for permission to display advertisements within a period not exceeding 2 months from the date of application.

#### **PART-V**

#### **APPEALS**

36. *Appellate Authorities.*—Appeal against the decisions taken by the Commissioner shall lie with the Board of the Municipal Corporation.

37. *Procedure for Appeal:-*



- 
- (a) An appeal must be filed, alongwith of appeal fees of Rs. 200/-, within 30 days from the receipt of the orders of the concerned authority or cause of action, as the case may be.
  - (b) For sufficient cause, the Appellate Authority at its discretion may condone delay of filing appeal upto 30 days.
  - (c) Appellate authority will as far as possible decide the appeal within 4 weeks.
  - (D) The hoarding owner or license holder, during the pendency of appeal, shall not display any advertisement on the alleged hoarding.

## APPENDIX 'A'

## Patna Municipal Corporation, Patna

Application Form for permission to exhibit Advertisement under the provisions of Patna Municipal Corporation (Grant of permission for display of Advertisements & Similar Demises) Regulations, 2008

1. Name/s of Applicant: \_\_\_\_\_
2. Name of the Agency: \_\_\_\_\_
3. Status : Proprietary firm/company/Charitable Trust/Others
4. Address : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Tel No.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

5. Medium of advertisements applied for : Illuminated/Non Illuminated
6. Form of Advertisement: Temporary Non temporary
7. Nature of advertisement applied:
8. Are you a charitable trust/ Institutions applying for display of free banner?  
 Yes/No

If Yes:

- (a) Purpose: Academic/religious/public/awareness/health/political/others
- (b) Date: From \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_
- (c) Location: Single / Multiple  
 If multiple
  - (i) No. of locations:
  - (ii) Description of locations:
- (d) Text of the message of free banner: \_\_\_\_\_
- (e) Indicate the category of Civic message you propose to carry:
- (f) Whether photocopy of Trust Registration attached: Yes / No

9. Dimensions:
 

|                | In Ft./Sq. Ft. | In Mtr./Sq.Mtr. |
|----------------|----------------|-----------------|
| • Length :     | _____          | _____           |
| • Width :      | _____          | _____           |
| • Total Area : | _____          | _____           |
| • Height :     | _____          | _____           |

10. Site Location:
 

Name of the Road drawing visibility:

  - Category of Road — Principal Main Road/ Main Road/ Other Road.
  - Width of the Road:
  - No. of hoarding located within 25 Mtr.:
  - No of trees within 25 Mtr. On either side:
  - Whether trees are required to cut: Yes / No
11. Name of the Landlord:
12. NOC of the Landlord Submitted: Yes / No
13. Whether documents submitted as per Part III (B)/III (C) : Yes / No

I have read carefully the approved policy guidelines of the PMC on above and have complied all the conditions. I accept that, in the event the information submitted by me is found false, I am liable for all such penal actions as prescribed under the law.

Date:

Signature of the Applicant  
Designation:

Cut here \_\_\_\_\_

**For Office use only**

Whether the application is complete as per part IV of the Guidelines? Yes / No

If yes, state:

- (a) Registration No. : \_\_\_\_\_  
 (b) Processing Fee : \_\_\_\_\_  
 (c) Deposit : \_\_\_\_\_  
 (d) Date of receipt of application : \_\_\_\_\_  
 (e) Call Date : \_\_\_\_\_

Signature of the Authorised Officer

**APPENDIX 'B'**  
**INDEMNITY BOND-CUM-UNDERTAKING**  
on Rs. 200/- stamp paper

TO,

**THE COMMISSIONER**  
 PATNA MUNICIPAL CORPORATION.

SUBJECT: Grant of permission for advertisement at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I, Shri/Smt./Messrs \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_, the owner of the property situated at \_\_\_\_\_ [Or in the case of society]

We, Shri/Smt. [1] \_\_\_\_\_ [2] \_\_\_\_\_ [3] \_\_\_\_\_ [4] \_\_\_\_\_ of the Management Committee of M/s \_\_\_\_\_ Co-operative Society [hereinafter called as 'the owner']

[Or in case of trust]

[2] I, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ Proprietor/Partner/Director of the firm M/s \_\_\_\_\_ having its registered office at \_\_\_\_\_ and residing at \_\_\_\_\_ [hereinafter called as "the Advertiser"];

WHEREAS the Advertiser has made application to Patna Municipal Corporation for a permission for display of advertisement under section 146 of the B.M.A. Act, 2007.

AND WHEREAS the owner has permitted the Advertiser to erect a hoarding and display advertisement in their property situated at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AND WHEREAS the Advertiser has applied to the Corporation for permission for display of advertisement at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[location] and we the owner and Advertiser are required in terms of the laid down policy in this behalf to give joint undertaking;

\_\_\_\_\_

The owner and the Advertiser do hereby agree and undertake as under

1. The owner and the advertiser hereby expressly agree and undertake to abide by the regulation an guidelines framed by the Patna Municipal Corporation for grant of permission for advertisement.
2. The owner and the Advertiser hereby undertake that the erection of the hoarding and display of advertisement will not adverted affect or cause any obstruction to the air, light and ventilation of the building belonging to the owners or to the neighboring building and/or premises.
3. The owner/society hereby confirm that the General Body has passed a resolution permitting the Advertiser to erect the hoarding and display advertisement in the society premises by passed resolution in the General Body meeting held on \_\_\_\_\_, the copy of the resolution, thereof, has been certified by the Auditor of the Society.
4. The owner and Advertiser undertake to approach the appropriate Appellate Authority prescribed in the guidelines for redressing the grievances. The owner and the Advertiser further agree that the decision of the Appellate authority as prescribed in the guideline shall be final and binding upon them.
5. The owner and the Advertiser hereby further agree and undertake that they shall and will, at all times hereinafter, save and keep harmless and indemnify the Patna Municipal Corporation and the Municipal Commissioner or either of them from and against all actions, acts, suits, cost claims, damages, demands of any nature and kind whatsoever which may be instituted, claimed or made against the Municipal Corporation or the Municipal Commissioner or either of them by any person or persons by reason of the Municipal Commissioner granting permission for display of advertisement in the premises.
6. We further agree and undertake that the Municipal Corporation / Municipal Commissioner shall not be responsible in respect of any litigation that may arise between the advertiser and the owner or with any other person or persons in this connection.
7. We further indemnify the Municipal Corporation / Municipal Commissioner for – (i) structural stability of the building over which hoarding is proposed to be erected and also the structural stability of the structure of hoarding; (ii) aesthetic view; (iii) safety of trees within the distance of 25 mtrs. in front of proposed hoarding.
8. This Undertaking is binding upon us, our heirs, Executors, Administrator, Successor/ Successors and assignees.

Dated this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20

Yours faithfully

[ \_\_\_\_\_ ]

[ \_\_\_\_\_ ]

Witness:

1] \_\_\_\_\_

2] \_\_\_\_\_

**APPENDIX 'C'****UNDERTAKING ON RS. 200/- STAMP PAPER**

To,

**The Commissioner**

Patna Municipal Corporation.

SUBJECT: Grant of permission for advertisement at \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I, Shri/Smt./Messrs \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_, the owner of the property situated at \_\_\_\_\_ [Or in the case of society]

We, Shri/Smt. [1] \_\_\_\_\_ [2] \_\_\_\_\_ [3] \_\_\_\_\_ [4] \_\_\_\_\_ of the Management Committee of M/s \_\_\_\_\_ Co-operative Society [hereinafter called as 'the owner']

[Or in case of trust]

[2] I, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ Proprietor/Partner/Director of the firm M/s \_\_\_\_\_ having its registered office at \_\_\_\_\_ and residing at \_\_\_\_\_ [hereinafter called as "the Advertiser"];

WHEREAS the Advertiser has made application to Patna Municipal Corporation for a permission for display of advertisement under section 146 of the B.M.A. Act, 2007.

AND WHEREAS the owner has permitted the Advertiser to erect a hoarding and display advertisement in their property situated at \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_AND WHEREAS the Advertiser has applied to the Corporation for permission for display of advertisement at \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_[location] and we the owner and Advertiser are required in terms of the laid down policy in this behalf to give joint undertaking;  
\_\_\_\_\_

The owner and the Advertiser do hereby agree and undertake as under:

1. The owner hereby confirms that the land on which advertisement is displayed is leased out Municipal land bearing C.T.S. No. \_\_\_\_\_ situated at \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ The owner and the Advertiser hereby further confirm

that the amount of annual consideration for granting permission by the owner to the Advertiser for erection of hoarding and display of advertisement is Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees) and the true and correct amount actually paid by the Advertiser to the society had been disclosed in the application for permission for advertisement. The owner and the Advertiser hereby jointly and severally further agree and undertake to pay extra annual ground rent equal to 50% of the net annual compensation received as described above or calculated at the rate of 15% of the current market value of the land on the notional land area equal to the surface area of the hoarding board or boards, or 50% of the amount arrived at on the basis of actual realization on a proportionate surface area basis obtained by P.M.C. from any hoarding through public auction on the same road or corridor, whichever of the three is the highest.

2. The owner / society hereby confirm that the General Body has passed a resolution permitting the Advertiser to erect the hoarding and display advertisement in the society premises by passed resolution in the General Body meeting held on \_\_\_\_\_, the copy of the resolution, thereof, has been certified by the Auditor of the Society.

3. This undertaking is binding upon us, our heirs, Executors, Administrators, Successor/Successors and assignees.

Dated this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20

Yours faithfully

[ \_\_\_\_\_ ]

[ \_\_\_\_\_ ]

Witness :

1] \_\_\_\_\_

2] \_\_\_\_\_

**ANNEXURE-I****SPECIFICATIONS FOR ERECTION OF HORDINGS****1.0 INTRODUCTION:**

This annexure provides specifications and details relating to the erection of hoardings under PMC's jurisdiction.

**2.0 GENERAL**

- 2.1 The hoarding should be maintained properly by providing the painting time to time to prevent corrosion. All joints should be checked periodically to ensure its safety.
- 2.2 The display of the PMC's permission number and name of the advertising company shall mandatorily be displayed in bold types New Roman font. These letters should be 6" high in white colour on black background.
- 2.3 The erection of the hoarding should be done by machineries (erecting equipments) wherever necessary and all the precautionary measures will be taken to prevent any accident.
- 2.4 The agency shall take all necessary precautions to prevent nuisance or inconvenience to vehicular and pedestrian traffic movement due to erection of the hoarding.

**3.0 LOCATION:**

- 3.1 The location of the hoarding shall not be within 25 mtrs. from the edge of a junction or circle.
- 3.2 Whenever it is erected near/ on footpath, the hoarding should have an angle between upto 30 degrees with respect to the centerline of the road.

**4.0 HEIGHT LIMITATIONS AND SIZE OF THE HOARDING BOARD:**

- 4.1 The top of the hoarding board of unipole, bipole and hoarding on the rooftop should not be more than 75 feet from the center of the respective roads.

**5.0 PREVENTION NUISANCE AND POLLUTION:**

- 5.1 The agency shall take necessary precautions to prevent any nuisance or inconveniences to the owners, tenants or occupants of adjacent properties and to the public in general and to prevent any damage to such properties and any pollution of stream and waterways.
- 5.2 He shall make good at his cost and to the satisfaction of the MCGM, any damage to roads, paths, cross drainage works or public or private property whatsoever caused during the execution of the work.
- 5.3 No hoarding shall obstruct any doors and / or windows of the building near or on which it is erected or that of the adjoining property.
- 5.4 All waste or superfluous materials shall be cleared away by the agency.

**6.0 STRUCTURAL SPECIFICATION:**

- 6.1.1 All structured steel rolled sections and plates shall conform to BIS 226-1975 and BIS 7062-1980.
- 6.1.2 Structural design shall conform to BIS 800-1984.
- 6.1.3 Structure shall be designed for wind load of 33m/sec. as per BIS 875 Part II.
- 6.1.4 R.C.C. foundation shall be provided based on soil condition and depth of foundation shall not be less than 1500 mm and shall be as per BIS 456.
- 6.1.5 Design calculations shall be submitted along with working drawing from a practicing structural engineer, registered with MCGM.



**6.2 Hoarding on ground****6.2.1 Unipole:**Foundation

Unipole shall be founded on RC footing and pedestal.

Stanchion

Single circular stanchion of 450 mm diameter made up of 2mm thick MS Sheets.

Board

The board shall be made of MS box SHR section.

Sheeting

Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles. Refer typical structural details of plate No. 6.

**6.2.2 Bipole:**Foundation

Bipole shall be founded on RC footing and pedestal.

Stanchion

The stanchion shall be made up of ISMB 250 @ 75 Kg/m.

Board

The board shall be made of MS box SHR section.

Sheeting

Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles. Refer typical structural details of plate No. 7.

**6.3 Hording on roof top**

Shall be erected only on RC framed structure.

Stability Certificate for the foundation and the building shall be furnished from the practicing structural engineer, registered with MCGM.

The base of the hoarding shall be supported only on RC columns with suitable RC beam frames.

The board shall be made of MS box SHR section.

Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles.

**7.0 ELECTRIFICATION:**

7.1 Whenever the illumination is to be provided, the necessary approval from the concerned authorities. BSEB should be taken and necessary safety measures (to prevent accidents) have to be taken.

7.2 The illumination arrangement should not cause disturbance to traffic passing near or underneath the hoarding/gantry / foot bridge/ over bridge, as the case may be. Illumination of hoardings in residential areas shall be switched off manually or electronically at a reasonable hour at night, which is defined by Brihanmumbai Mahanager Palika.

7.3 All electrical components shall confirm to BIS.

7.4 Underground cable should be 16 Sq. mm. 2 core.

7.5 Meter box, ELCB, MCB, Fuse Cutout, Timer Contractor and Locking Arrangement should be as per requirement of BESCOM.

7.6 Illumination: 2 Nos. 400 Watt metal halide light fixtures.

7.7 Earthing 1.8 m deep below the ground using GI Pipe, Funnel, Charcoal Salt, Brick Masonry work, etc. as per requirement of BESCOM

**ANNEXURE—II**

Schedule of fees for advertisement permits issued under section 146 of Bihar Municipal Act, 2007 for **Advertisement other than Business Premises**  
(Resolution No. .... dated..... of Patna Municipal Corporation Board)

| Sl. No.  | Description  | Scale of license fees                            | Rates of fees in Rs. (Per Annum) |               |                | Rates of fees in Rs. (Per Annum) |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|
|  |  |  | Zone-1 (P.M.R.)                  | Zone-2 (M.R.) | Zone-3 (Other) |                                  |
| 1.   | a) Illuminated Advertisement on hoardings of board/ wall paintings of balloon or in the form of sky sign and illuminated hoardings of boards on vehicle      | Per Sq.ft./ Year                                 | 120                              | 60            | 30             | --                               |
|  | b) Illuminated advertisement by means of computerized coloured/multi coloured graphic tricycle moving electronic display system                              | Per Sq.ft./ Year                                 | 180                              | 90            | 40             |                                  |
|  | c) For display of pictorial advertisement  | 1/6 of admissible illuminated advertisement fees |                                  |               |                |                                  |
|  | d) Non-illuminated advertisement on hoardings of board/wall paintings of balloon of in the form sky sign and non-illuminated hoardings of boards on vehicle. | Per Sq.ft./ Year                                 | 50                               | 25            | 10             |                                  |
|  | e) advertisement fixed or suspended in streets and of footpath (such as cloth banners etc.) (Non-illuminated) (Per Month)                                    | Per Sq.ft./ Year                                 | 40                               | 20            | 10             |                                  |
| 2.   | Advertisement on Auto Rickshaws & Taxies   | Auto Rickshaw/ Taxes/ or Buses (moving Vehicles) |                                  |               |                |                                  |
|  | i) For illuminated Advertisement boards  | --   | --                               | --            | --             | 120                              |
|  | ii) For non-illuminated advertisement boards   | --   | --                               | --            | --             | 60                               |
| 3.   | Temporary advertisement permit issued for commercial purpose.  | --   | --                               | --            | --             | 150% of monthly normal           |
| <b>GROUND RENT FOR HOARDINGS ON MUNICIPAL PROPERTIES</b> |  |  |                                  |               |                |                                  |
| 4.   | Ground Rent for hoardings on Municipal footpath. (Only projection)   | --   | --                               | --            | --             | --                               |
| A)   | 1) Projected advertisement boards upto 3 fts. (running foot) on Municipal footpath.  | --   | --                               | --            | --             | 5000                             |
|  | 2) More than 3 fts.& upto 5 fts.   | --   | --                               | --            | --             | 8000                             |
|  | 3) More than 5 fts.& upto 7.5 fts.   | --   | --                               | --            | --             | 12000                            |
| B)   | 1) for the portion 1 ft. width & 20 fts. length projected parallel on Municipal  | --   | --                               | --            | --             | 6000                             |

|     |   |   |    |    |    |       |
|-----|---|---|----|----|----|-------|
|     | footpath.   |   |    |    |    |       |
|     | 2) For the portion 1 ft. width & length more than 20 fts upto 40 fts.                                       | --  | -- | -- | -- | 12000 |
|     | 3) For the portion 1 ft. & 2.5 fts. width & upto 20 fts. length   | --  | -- | -- | -- | 10000 |
|     | 4) For the portion 1 ft. & 2.5 fts. width & length more than 20 fts. & upto 40 fts                          | --  | -- | -- | -- | 20000 |
| 5.  | Space rent/ground rent in addition to advertisement fees for banners except Kiosks, Bus Queue Shelters etc. | Per every running meter or part thereof   | -- | -- | -- | 80    |
| 6.  | Clubbing of Advertisement Board   |   |    |    |    |       |
|     | A) Clubbing of advertisement board of approved upto the standard size 1200 sq. fts.                         | --  | -- | -- | -- | 3000  |
|     | B) From 1200 sq. fts. to 1600 sq. fts. approved standard size   | --  | -- | -- | -- | 15000 |
|     | C) Above 1600 sq. fts. for each additional 100 sq. fts. or part thereof                                     | --  | -- | -- | -- | 3000  |
| 7.  | The Service Charges for the extension period upto the 3 months.   | --  | -- | -- | -- | 1000  |
| 8.  | Transfer of advertisement permit.   |   |    |    |    |       |
|     | 1. Transfer to legal heirs.   | --  | -- | -- | -- | --    |
|     | a) Transfer to legal heirs.   | --  | -- | -- | -- | 5000  |
|     | Transfer to other than legal heirs subject to production of objection certificate form landlords            | --  | -- | -- | -- | 25000 |
| 9.  | Conversion of non standard advertisement board into standard size advertisement board.                      | For continuation of the odd size of the hoardings on the ground & terrace the permit holder has to pay advertisement fees for the nearest standard size of the existing hoarding for example hoardings of size 16'X8' or 12'X10' the applicant has to pay the fees standard size next i.e.10'X20' | -- | -- | -- | --    |
| 10. | Processing application fees   | --  | -- | -- | -- | 500   |

**Group 'B' Advertisement on Business Premises**

|    |  |                          |               |            |
|----|--|--------------------------|---------------|------------|
| 1. | Non illuminated advertisements forming sky signs   | i) for space per sq. mt. | 240 Per Annum |            |
| 2. | For Illuminated name boards sky signs, glow Signs & Neon Sign illuminated show cases, showrooms etc. | i) For space per sq. mt. | 720 Per Annum |            |
| 3. | Transfer of permits.   |                          |               |            |
|    | a) To legal heirs.   |                          |               | Rs. 100/-  |
|    | b) To other than legal heirs,  |                          |               | Rs. 1000/- |

By Order,  
Sd./Illegible,  
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 393-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>